

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

चिकन लेग्स का आयात

*229. श्री ए.क०पी. चिनराजः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से चिकन लेग्स के आयात के कारण घरेलू पॉल्ट्री क्षेत्र विशेषकर तमिलनाडु के नमककल जिले में इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चिकन लेग्स का आयात किया गया;
- (ग) क्या पशुधन उत्पादों, विशेषकर चिकन लेग्स के आयात हेतु सरकार के पास कोई व्यवस्था विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) घरेलू पॉल्ट्री बाजार को बचाने हेतु सस्ते आयात को बंद करने के लिये सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और
- (ङ) क्या सरकार ने अत्यधिक ठंडे चिकन के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष रहे और भारतीय पॉल्ट्री क्षेत्र को बचाने हेतु सरकार ने अन्य क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2702

दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

पॉम तेल का आयात

2702. डॉ. राजदीप राय:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार मलेशिया के प्रधानमंत्री के वक्तव्य के आलोक में मलेशिया से पॉम तेल के आयात के संबंध में कोई ठोस कदम उठा रही है; और
- (ख) क्या सरकार 'मेक इन इंडिया' के मद्देनज़र भारत में रिफाइन्ड पॉम तेल के आयात में कटौती करेगी?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : खाद्य तेल का आयात ओपन जेनरल लाईसेंस के तहत है। पॉम तेल का आयात मुख्य रूप से आसियान देशों जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया से मुक्त व्यापार करार के तहत होता है। आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को गंभीर भौतिक क्षति की चुनौती के होने पर सरकार ने भारत-मलेशिया सीईसीए (द्विपक्षीय रक्षोपाय साधन) नियम, 2017 के तहत व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय के प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर, 4 सितम्बर, 2019 से प्रभावी 180 दिनों की अवधि के लिए मलेशिया से भारत में परिष्कृत, विरंजित पामोलीन और पॉम ऑयल से आयात पर सीमाशुल्क 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इसी तरह, आवश्यकता पड़ने पर, सरकार राष्ट्रीय हित में आवश्यक सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करेगी।

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

b&ekdV lyI

2701- Jh x.ksk fI g%

D; k ok.kT; vlg m|ks eah ;g crkusdh dIk djksfd%

1/2 | jdkjh b&ekdV lyI 1/tb, e/ dh e[; fo'kskrkvksdk C; ksk D; k gS
1/k/ D; k tb, e us bM; u cI vlg dujk cI ds I kfk I e>ksk&Kki u ij gLrk{kj fd, gI
1/k/ ; fn gk rks rRI cdkh C; ksk D; k gS
1/k/ D; k bl I k>nkjh ds ek/; e I } nkska cdkus dbz I okvkdh i skd'k dh gS ft I e@tb, e iy
[kkrka 1/t hih, 1/ ds ek/; e I s fuf/k; k ds gLrkj .k djus ij QkeII cI xkjIV; k 1/b&i hchth/ ds
I cdk eavkeaf.k nus vfxe jkf'k tek 1/b, emh/ vlg iky ij i thdr mi ;ksckRkk/kscls i eV
x/ os tS h I fo/kk, a 'kkfey gI vlg ; fn gk rks vkt dh frffk ds vuq kj iky ij i thdr
mi ;ksckRkk/kscls i ruk ftys 1/ vlg jkT; &okj I q; k rffk bl dk ifj. kke D; k gS vlg
1/b/ D; k tb, e ikjn'k vlg dqky [kjhn I qf'pr djus ds fy, iR; {k [kjhn] ckyh vlg fjoI z
uhykeh dh I fo/kk i nku djrk gS vlg ; fn gk rks vkt dh frffk vuq kj iR; {k [kjhn] ckyh
vlg fjoI zuhykeh ds ifj. kke dk e/; i nsk ds I ruk ftys I fgr jkT; &okj C; ksk D; k gS

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) जीईएम एसपीवी को केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तु एवं सेवा की सुविधाजनक खरीददारी के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में स्थापित किया गया है। मार्केटप्लेस की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

- मार्केटप्लेस उत्पादों एवं सेवाओं की खरीद के लिए आद्योपांत मंच है।
- ऑनलाइन प्रमाणीकरण।
- समावेशी एवं मुक्त।
- पारदर्शी
- सीधी खरीद, ई-बिडिंग, रिवर्स नीलामी मोड उपलब्ध प्रापण।
- कोई पंजीकरण फीस/लिस्टिंग फीस नहीं।

(ख) (ग) एवं (घ) : जी हां। जीईएम ने दिनांक 31.10.2019 को कनारा बैंक एवं इंडियन बैंक के साथ समझौता जापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू में ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा/संग्रहण एवं निधि अंतरण की सुविधा तथा जीईएम पूल खाता, ईपीबीजी, ईएमडी एवं पेमेंट गेटवे जैसी सेवाओं की स्थापना का प्रावधान है। दिनांक 27.11.2019 के अनुसार पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के विवरण निम्नलिखित हैं:-

(क) पंजीकृत क्रेता संगठन : 40626

(ख) पंजीकृत विक्रेता एवं सेवा प्रदाता : 303151

दिनांक 27.11.2019 के अनुसार जीईएम के माध्यम से खरीद की मात्रा के रूप में परिणाम अनुबंध के पर दिए गए हैं [सतना(म.प्र.)सहित राज्य वारा]

(ड) जी हां। विवरण अनुबंध के पर दिए गए हैं। [सतना (म0प्र0) सहित राज्य वारा]

अनुबंध 'क'

दिनांक 27.11.2019 की स्थिति के अनुसार जीईएम के माध्यम से खरीद का विवरण।

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	ई-बिडिंग के माध्यम से आर्डर वैल्यू (करोड़ में)	(रिवर्स नीलामी) के माध्यम से आर्डर वैल्यू (करोड़ में)	सीधी खरीद के माध्यम से आर्डर वैल्यू (करोड़ में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	18	1	8
आंध्रप्रदेश	194	17	211
अरुणाचल प्रदेश	56	1	46
असम	118	2	69
बिहार	204	284	188
चंडीगढ़	349	4	64
छत्तीसगढ़	401	19	594
दादरा एवं नागर हवेली	1	0	13
दमन एवं दीव	5	0	16
दिल्ली	720	16	718
गोवा	1	0	7
गुजरात	705	407	441
हरियाणा	95	11	252
हिमाचल प्रदेश	39	23	96
जम्मू कश्मीर	75	55	153
झारखण्ड	206	56	254
कर्नाटक	63	6	196
केरल	100	7	127
लक्षद्वीप	6	0	13
मध्यप्रदेश	909	274	848
महाराष्ट्र	1,046	176	313
मणिपुर	10	0	14
मेघालय	15	0	5
मिजोरम	3	0	3
नागालैंड	12	0	11
ओडिशा	130	22	156
पुदुचेरी	9	0	8
पंजाब	206	72	139
राजस्थान	239	15	152
सिक्किम	1	0	2
तमिलनाडु	175	3	152
तेलंगाना	61	1	457
त्रिपुरा	21	2	24
उत्तरप्रदेश	1,171	146	2,059
उत्तराखण्ड	69	6	111
पश्चिम बंगाल	73	17	35
संपूर्ण भारत(करोड़ में)	16,304	15,285	3,379

जिला	ई-बिडिंग के माध्यम से आर्डर वैल्यू (करोड़ में)	(रिवर्स नीलामी) के माध्यम से आर्डर वैल्यू (करोड़ में)	सीधी खरीद के माध्यम से आर्डर वैल्यू (करोड़ में)
सतना जिला(म.प्र)	9.88	0.02	2.32

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2698

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

, I bZtM dk fodkl

2698- Jh , I nvkjñ i kFLku%

MKUmešk th t klo%

D; k okT; vkj m | kx eah ; g crkusdh dik djksfd%

½ fo'kšk vkkfkd tku ¼ I bZtM½ uhfr dh ie[k fo'kškrk, aD; k gš
½ nšk ea bl uhfr ds vUrxr fpflgr vkj LFkfir fd, x, , I bZtM dk dukld
fo'kškdj gñjkckn dukld {k= vkj rfeyukMq I fgr jkT; @I åk jkT; {k=&okj
vkj LFkku&okj C; kjk D; k gS vkj mu oLryka dk C; kjk D; k gS ftuds fy, ; s
, I bZtM dk; Z dj jgagš
½ xr rhu o"kkseas i R; d o"kz vkj pkywo"kz ds nkjku bl uhfr ds vUrxr , I bZtM
ds fodkl grqLohdr vkoVr vkj mi ; kx dh xbz /kujkf'k dk C; kjk D; k gS vkj
bl ea dñnz vkj jkT; ka dh fdruh ifr'kr fgLI nkjh fu/kkjjr dh xbz gš
½ xr rhu o"kkseas i R; d o"kz ds nkjku mDr , I bZtM dh mRikndrk dk LFkku&okj
C; kjk D; k gš vkj
½ uhfr ds vUrxr vc rd fu/kkjjr y{; k dh xbz dkj bkbz vkj gkfl y dh xbz
mi yfc/k; ka dk C; kjk D; k gš

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल 2000 में शुरू की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 संसद द्वारा मई, 2005 में पारित किया गया जिस पर राष्ट्रपति की सम्मति 23 जून, 2005 को प्राप्त हुई। एसईजेड नियम 2006 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी हुए। एसईजेड स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- (i) एसईजेड में प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजनार्थ एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त एनक्लेव को भारतीय सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के रूप में माना जाएगा;
- (ii) आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं;
- (iii) विनिर्माण अथवा सेवा कार्यकलापों की अनुमति;

- (iv) इकाई सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय प्राप्त करेगी जिसकी संचयी गणना उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी ;
- (v) घरेलू बिक्री सम्पूर्ण सीमाशुल्क और लागू आयात नीति के अध्यधीन है;
- (vi) एसईजेड इकाइयों को उप-संविदा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी;
- (vii) निर्यात/ आयात कार्गों की कस्टम प्राधिकारियों द्वारा कोई नैमित्तिक जांच नहीं;
- (viii) एसईजेड विकासकर्ता/ सह-विकासकर्ता और इकाइयों को प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का लाभ मिलेगा, जैसा कि एसईजेड अधिनियम, 2005 में निर्धारित है।

(ख) : एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित केन्द्रीय सरकार के सात विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और 12 राज्य/निजी एसईजेड क्षेत्रों के अतिरिक्त देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए 417 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। वर्तमान में, 349 अधिसूचित एसईजेड में से कुल 238 एसईजेड प्रचालनशील हैं। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में कोई एसईजेड नहीं है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु सहित देश में स्थापित एसईजेड का राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार वितरण तथा इन एसईजेड के स्थिति का विवरण www.sezindia.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) : एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम 2006 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्यतः निजी निवेश संचालित पहलें हैं। एसईजेड की स्थापना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई निधि की मंजूरी नहीं की जाती है, तथापि एसईजेड अधिनियम, 2005 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार विकासकर्ताओं/इकाइयों को वित्तीय रियायत और शुल्क लाभ की अनुमति दी जाती है। दिनांक 30.09.2019 के अनुसार, एसईजेड से 3,81,912 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था तथा लगभग 21.94 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन हुआ और 5,21,631.44 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2696

दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

पाटन रोधी शुल्क

2696. श्री जसबीर सिंह गिलः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आयातित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क पर सरकारी नीति का व्यौरा क्या है;
(ख) विभिन्न वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क लगाने से प्राप्त राजस्व का व्यौरा क्या है; और
(ग) विभिन्न उत्पादों पर रक्षोपाय शुल्क लगाने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : व्यापार प्रतिकार महानिदेशालय सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अंतर्गत बने नियम के तहत पाटनरोधी जांच देश में वस्तुओं के पाटन और उससे घरेलू उद्योग को क्षति का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत साक्षात्कृत आवेदन-पत्रों के आधार पर आयोजित करता है। पाटनरोधी उपायों का मूल उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों से घरेलू उद्योग को पहुंचने वाली क्षति को दूर करना और घरेलू उद्योग के लिए एक समान व्यापार अवसर सृजित करना है।

(ख) : विगत 4 वर्षों में विभिन्न वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोधित करने से प्राप्त/प्राप्य राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (27 नवम्बर, 2019 तक)
पाटनरोधी शुल्क से प्राप्त राजस्व (करोड़ रुपये में)	1136.89	1267.62	1307.35	765.37

स्रोत : डीजी सिस्टम्स, राजस्व विभाग (ईडीआई सूचना)

(ग) : डीजीटीआर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत साक्षात्कृत आवेदन के आधार पर रक्षोपाय जांच करता है। रक्षोपाय जांच करने में डीजीटीआर द्वारा अपनाए गए मानदंडों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बढ़े हुए आयातों, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती और कथित गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती के मध्य कारणात्मक सहसंबंध के प्रमाण इत्यादि शामिल हैं।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2676

दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

भैंस के मांस का निर्यात

2676. श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2009 से अब तक भारत द्वारा निर्यात किए गए भैंस के मांस की वर्ष-वार मात्रा कितनी है;
(ख) वर्ष 2009 से अब तक, भारत से भैंस के मांस के निर्यात का वर्ष-वार मूल्य कितना है;
(ग) भारत के शीर्ष दस भैंस मांस निर्यातकों का व्यौरा क्या है;
(घ) क्या गौ मांस निर्यात के संबंध में कोई रिपोर्ट सामने आई है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ष 2009-10 से भारत से भैंस के मांस के निर्यात की (वर्ष-वार) मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है :-

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में)
2009-10	495538.00	5488.20	1157.90
2010-11	726718.10	8614.00	1889.90
2011-12	987714.50	13757.30	2869.40
2012-13	1108662.40	17420.20	3203.20
2013-14	1451941.80	26472.40	4352.80
2014-15	1476309.80	29289.20	4782.20
2015-16	1314533.60	26688.10	4069.70
2016-17	1323576.10	26161.50	3912.00
2017-18	1350563.50	26033.80	4036.90
2018-19	1236638.40	25168.30	3608.70
2019-20 * (अक्टूबर, 2019 तक)	669280	13346.18	1903.88

* वर्ष 2019-20 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं और वे परिवर्तित हो सकते हैं।

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस)

(ग) : वर्ष 2018-19 के लिए भारत से ऐंस के मांस के दस शीर्षस्थ निर्यातकों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	निर्यातक का नाम	शहर	राज्य
1	अलानसन प्राइवेट लिमिटेड	मुंबई	महाराष्ट्र
2	एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	आगरा	उत्तर प्रदेश
3	रस्तम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	कानपुर	उत्तर प्रदेश
4	अल-हम्द एग्रो फूड्स प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
5	अमरून फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
6	मिरहा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	नई दिल्ली	दिल्ली
7	अल-समीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	मेरठ	उत्तर
8	फेयर एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	बांद्रा ईस्ट	महाराष्ट्र
9	इंटरनेशनल एग्रो फूड्स	गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश
10	मैश एग्रो फूड्स लिमिटेड	कानपुर	उत्तर प्रदेश

(स्रोत : एपीडा)

(घ) और (ड.) : निर्यात नीति की आईटीसी (एचएस), 2018 अनुसूची-2 के अनुसार भारत से गाय के मांस (जिसमें गाय, बैल, बछड़े का मांस और खाद्य चीथड़े शामिल हैं) का निर्यात निषिद्ध है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2662

दिनांक 4 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

काली मिर्च का आयात

2662. कुमारी शोभा कारान्दलाजे:
श्री मणुटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष की तुलना में घरेलू काली मिर्च बाजार कम मूल्य और कम मांग का सामना कर रहा है और इसके पीछे का कारण अवैध आयात है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ख) देश में काली मिर्च के कुल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च का आयात बढ़ा है;

(घ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयातित काली मिर्च की मात्रा और मूल्य का देश—वार ब्यौरा क्या है:

(ङ) क्या सरकार ने घरेलू काली मिर्च उत्पादकों के हितों के संरक्षण हेतु काली मिर्च के लिए एक न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आयात शुल्क पर देश के राजकोष की हानि की पृष्ठभूमि में भारत में वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में तस्करी की जाती है;

(छ) यदि हाँ, तो देश में कम कीमत वाली काली मिर्च के अवैध और गलत आयातों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) क्या सरकार पड़ोसी देशों से कम कीमत पर आयात करने के लिए एशियन समझौते द्वारा बाध्य है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू काली मिर्च के मूल्य में गिरावट आई है:

वर्ष	कोचीन में काली मिर्च (एमजी1) का औसत घरेलू मूल्य (रुपये/किग्रा)
2016-17	694.77
2017-18	473.73
2018-19	378.21

स्रोत : स्पाईसेज बोर्ड इंडिया

यह माना गया है कि काली मिर्च के घरेलू मूल्य में कमी मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च के उच्च उत्पादन और आपूर्ति के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी और भारत में अन्य देशों से काली मिर्च के आयात में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

पिछले तीन वर्षों में काली मिर्च की घरेलू मांग में वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च की घरेलू खपत का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

भारत में काली मिर्च की घरेलू खपत	
वर्ष	घरेलू खपत (एमटी)
2017	55000
2018	56500
2019 (आकलन)	57000

स्रोत: अन्तर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय

(ख): पिछले तीन वर्षों के दौरान काली मिर्च के कुल उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (टन)
2016-17	134,281	62,080
2017-18	139,487	71,488
2018-19	138,929	62,425

स्रोत: सुपार्डी एवं मसाला विकास निदेशालय, कालीकट, केरल

(ग) एवं (घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान देशवार आयातित काली मिर्च की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

देश	2016-17		2017-18		2018-19(अनंतिम)		2019-20 (अप्रैल-अगस्त) (आक.)	
	मात्रा (एमटी)	मूल्य लाख रु.में	मात्रा (एमटी)	मूल्य लाख रु.में	मात्रा (एमटी)	मूल्य लाख रु.में	मात्रा (एमटी)	मूल्य लाख रु.में
श्री लंका	4900	32830	13660	55169	7800	37986	2003	7842
वियतनाम	9500	47785	10825	36757	10900	23653	6657	11129
इंडोनेशिया	5000	26000	2320	8141	4050	9761	1034	2350
ब्राजील	500	2950	1980	6558	1900	4978	956	1528
अन्य	365	2026	866	2458	300	1614	340	686
कुल	20265	111591	29650	109084	24950	77991	10990	23535

(पी) – अनंतिम, (ईएसटी) : आकलन

स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता/स्पाइस बोर्ड इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए कस्टम के डीएलआई

(ड.) काली मिर्च के आयात को कम करने और काली मिर्च के घरेलू मूल्य को स्थिर करने के उद्देश्य से दिनांक 06/12/2017 की विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के जरिए सरकार ने काली मिर्च के लिए न्यूनतम आयात मूल्य के रूप में 500 रुपये प्रति किंगा का सीआईएफ मूल्य नियत किया। तदुपरांत डीजीएफटी की दिनांक 21.03.2018 की अधिसूचना के तहत 500 रुपये प्रति किंगा कीमत से अधिक कीमत पर आयात को फ्री करके और 500/- रुपये प्रति किंगा से कम कीमत पर आयात का निषेध करके इस न्यूनतम आयात कीमत (एमआईपी) में संशोधन किया गया।

(च) और (छ) नेपाल और बांग्लादेश सीमा से भारत में अन्य देशों की कम कीमत की काली मिर्च की तस्करी के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं और राजस्व आसूचना निदेशालय को अन्य देशों से भारत में निम्न गुणवत्ता की काली मिर्च के प्रवेश को पहचानने और रोकने के लिए पत्तनों के प्रवेश बिंदु पर चौकस और सतर्क किया गया है। सीमा शुल्क कुछ समय पूर्व ही काली मिर्च की तस्करी के प्रयास पर कई मामले दर्ज किए गए हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका प्राधिकारियों ने भारत के गंतव्य वाले तीसरे देश के काली मिर्च शिपमेंट के लिए उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने से रोकने के लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई है। श्रीलंका के प्राधिकारियों ने आईएसएफएलटीए और एसएएफटीए के तहत काली मिर्च के निर्यात के लिए जारी उद्गम प्रमाणपत्र की स्कैन प्रतियां जाँच के लिए भारतीय प्राधिकारियों को उपलब्ध कराई हैं और भारत में इन मसालों को जहाज द्वारा पुनः भेजने से रोकने के लिए एन्टरेपोर्ट ट्रेड एवं कॉर्मिशनियल हब आपरेशन के जरिए श्रीलंका में काली मिर्च सहित मसालों के आयात को अस्थाई तौर पर रद्द कर दिया है।

(ज): आसियान करार के तहत व्यापार करार में शामिल नहीं किए गए देशों से आयात पर 70% के सामान्य शुल्क की तुलना में काली मिर्च के आयात पर 51% आयात शुल्क (1 जनवरी, 2019 से प्रभावी) की अनुमति है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2639

दिनांक 4 दिसंबर 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

जड़ी-बूटियों का निर्यात

2639. श्री सुधाकर तुकाराम शंगरे:
श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:
डॉ. वीरेन्द्र कुमार:
सुश्री प्रतिमा भौमिक:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास जड़ी-बूटियों के निर्यात की कोई नीति है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(ख) क्या विश्व में जड़ी-बूटियों के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जड़ी-बूटियों के कुल निर्यात का देश-वार और मूल्य-वार व्यौरा क्या है; और
(ड) देशभर में जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए निर्यात के अवसरों का सृजन करने और जड़ी-बूटियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क): आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अनुसार “जड़ी बूटियों” का निर्यात मुक्त है और इसके लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तथापि डीजीएफटी ने पौधों एवं पौधों के अंगों के कुछ उत्पादों पर निषेध और प्रतिबंध अधिसूचित किए हैं जो <https://dgft.gov.in/policies/notifications-archive?page=18> पर उपलब्ध हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ): पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान जड़ी-बूटी उत्पादों के कुल निर्यात का देशवार एवं मूल्यवार व्यौरा **अनुबंध- I** पर देखा जा सकता है।

(ड) :भारत के निर्यात को बढ़ावा देने और जड़ी-बूटी एवं औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों के लिए निर्यात के अवसरों के सृजन के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं:

- i. वाणिज्य विभाग ने विभिन्न उत्पाद समूहों / क्षेत्रों के निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की है। जड़ी बूटी एवं औषधीय पौधों के निर्यात संवर्धन का कार्य, चपड़ा एवं वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शैफेक्सिल), कोलकाता स्थित मुख्यालय को सौंपा गया है। अन्य के अलावा, कई जड़ी बूटी उत्पादों का निर्यात संवर्धन का कार्य फार्मास्यूटिकल निर्यात संवर्धन परिषद (फॉर्मेक्सिल) को सौंपा गया है। ये ईपीसी निर्यातक समुदाय को सुविधा प्रदान करती हैं और अपने उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धनात्मक उपाय करती हैं।
- ii. वाणिज्य विभाग की बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम के तहत ईपीसी /व्यापार निकायों को व्यापार मेलों, क्रेता विक्रेता बैठकों (बीएसएमएस), रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठकों (आरबीएसएमएस), शोध एवं उत्पाद विकास, बाजार अध्ययनों आदि में भागीदारी करने एवं इनके आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- iii. भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए निर्यातक समुदाय को प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि भारत में उत्पादित उत्पादों के निर्यात के संबंध में अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबंधित लागतों की भरपाई की जा सके, उनको विशेष बल देता है जो भारत के निर्यात हित में हो तथा रोजगार सृजन एवं विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की क्षमता रखती है।
- iv. आयुष मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता स्कीम निर्यातकों को व्यापार मेलों में भागीदारी करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बैठकों एवं सम्मेलनों का आयोजन करने एवं उत्पाद पंजीकरण प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- v. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने औषधीय पौधों में बेहतर कृषि परिपाठी (जीएपी) एवं बेहतर क्षेत्र संग्रह परिपाठी (जीएफसीपी) को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 22 नवंबर, 2017 को “औषधीय पादप उत्पादों के लिए स्वैच्छिक प्रमाणीकरण स्कीम (वीसीएसएमपीपी)” आरंभ की है। वीसीएसएमपीपी देश में औषधीय पादप कच्ची सामग्री की प्रमाणीकृत गुणवत्ता की उपलब्धता को बढ़ायेगा और उनके निर्यात को बढ़ावा देगा तथा पूरे देश में जड़ी-बूटी एवं औषधीय पौधों की खेती का विकल्प देने वाले किसानों को निर्यात के अवसर सृजित करेगा।
- vi. आयुष मंत्रालय अपने गुणवत्ता प्रमाणन कार्यक्रम जैसे आयुष चिह्न और प्रीमियम चिह्न के माध्यम से भी गुणवत्ता मानकों को स्थापित करने में उद्योग की सहायता कर रहा है।
- vii. आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक औषधि के संवर्धन के लिए कुछ देशों के साथ समझौता जापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जो दीर्घ अवधि में निर्यात में सहायक होंगे।

वर्ष 2018-19 के आधार पर वर्गीकृत औषधीय जड़ी बूटियों(पौधे एवं पौधों के भागों) का देश-वार और मूल्य-वार निर्यात

क्रम.सं.	निर्यात बाजार	अप्रैल-मार्च 2016-17	अप्रैल-मार्च 2017-18	अप्रैल-मार्च 2018-19	अप्रैल-सितंबर 2019-20
		मूल्य अम.डा.(मिलियन)	मूल्य अम.डा.(मिलियन)	मूल्य अम.डा.(मिलियन)	मूल्य अम.डा.(मिलियन)
1	अमेरीका	90.43	99.00	102.89	45.66
2	जर्मनी	30.95	46.78	34.07	19.47
3	वियतनाम समाजवादी गणतंत्र	17.55	20.15	26.76	11.28
4	चीन पी आरपी	5.44	9.94	13.48	5.23
5	इटली	12.82	15.56	12.92	6.89
6	पाकिस्तान आईआर	13.17	10.01	12.45	2.71
7	बंगलादेश पीआर	3.88	3.71	8.91	4.14
8	यूके	9.58	10.41	8.70	5.03
9	ऑस्ट्रलिया	6.97	7.02	6.73	2.94
10	फ्रांस	6.01	7.30	5.76	3.31
11	संयुक्त अरब अमीरात	6.42	6.37	5.30	1.82
12	जापान	5.59	5.57	5.23	2.78
13	कोरिया आरपी	4.03	4.63	5.15	2.57
14	बेल्जियम	4.85	6.46	4.92	3.33
15	कनाडा	3.59	3.48	4.00	2.41
16	मेक्सिको	6.09	3.86	3.75	1.59
17	मलेशिया	6.20	4.54	3.64	2.21
18	ईरान	4.44	3.83	3.11	2.26
19	नीदरलैंड	3.45	5.19	2.83	1.28
20	ताइवान	2.17	1.97	2.78	0.84
21	अफगानिस्तान टीआईएस	0.83	3.79	2.78	2.32
22	फिलिपींस	2.26	2.72	2.70	1.25
23	स्पेन	1.67	2.41	2.60	1.30
24	साउदी अरब	2.95	3.36	2.60	0.72
25	आयरलैंड	3.74	2.60	2.29	0.83
26	ब्राज़ील	1.23	1.58	2.16	1.31
27	श्री लंका डीएसआर	2.34	2.11	2.14	0.83
28	थाईलैंड	2.44	2.63	2.03	0.84
29	इंडोनेशिया	1.59	1.45	1.71	0.68
30	ऑस्ट्रिया	3.17	3.79	1.54	0.80
31	नेपाल	1.30	1.91	1.53	0.86
32	पोलैंड	1.94	2.01	1.50	0.85
33	इंजिप्ट ए आरपी	0.76	0.72	1.41	0.60
34	कुवैत	0.92	0.98	1.08	0.46
35	रूस	0.83	0.88	1.05	0.49
36	डेनमार्क	3.19	4.22	1.01	0.89
37	कतर	1.07	1.08	0.88	0.13

38	रोमानिया	0.43	0.48	0.88	0.56
39	कोलंबिया	0.63	1.08	0.76	0.15
40	दक्षिण अफ्रीका	0.79	0.75	0.74	0.62
41	अल्जीरिया	0.18	0.35	0.72	0.11
42	ओमान	0.33	0.51	0.66	0.03
43	चेक गणतंत्र	0.70	0.70	0.65	0.23
44	तुर्की	0.46	0.94	0.64	0.38
45	स्विट्जरलैंड	0.33	0.44	0.53	0.31
46	बहरीनआईएस	0.53	0.47	0.52	0.10
47	सिंगापुर	0.44	0.56	0.52	0.28
48	म्यांमार	0.41	0.53	0.48	0.16
49	न्यूजीलैंड	0.43	0.42	0.48	0.42
50	ब्राटेमाला	0.95	0.66	0.46	0.22
51	चिली	0.28	0.36	0.45	0.41
52	इराक	0.32	0.50	0.38	0.16
53	स्वीडन	0.45	0.63	0.36	0.09
54	हंगरी	0.41	0.50	0.33	0.18
55	स्लोवेनिया	0.19	0.13	0.33	0.16
56	लातविया	0.36	0.29	0.32	0.06
57	कोस्टा रिका	0.31	0.41	0.27	0.08
58	फिनलैंड	0.33	0.59	0.25	0.21
59	मोरक्को	0.30	0.37	0.25	0.32
60	कंबोडिया	0.00	0.01	0.24	0.04
61	इक्वाडोर	0.07	0.12	0.23	0.02
62	अर्जेटीना	0.16	0.33	0.22	0.09
63	बुल्गारिया	0.16	0.14	0.22	0.08
64	यूक्रेन	0.10	0.13	0.21	0.06
65	मर्सिशस	0.12	0.14	0.21	0.08
66	इजराइल	0.32	0.66	0.20	0.09
67	लिथुआनिया	0.27	0.42	0.18	0.25
68	स्लोवाक आरझेपी	0.03	0.13	0.16	0.08
69	ट्यूनीशिया	0.09	0.06	0.15	0.02
70	कॉगो डी रिप.	0.00	0.01	0.13	0.02
71	तंजानिया रिप.	0.03	0.12	0.13	0.02
72	क्रोएशिया	0.02	0.03	0.10	0.03
73	फाराओ	0.00	0.00	0.10	0.00
74	हॉगकॉग	0.14	0.07	0.10	0.03
75	नाइजीरिया	0.04	0.05	0.10	0.01
76	एस्टोनिया	0.09	0.11	0.08	0.07
77	नॉर्वे	0.05	0.16	0.08	0.00
78	यूनान	0.08	0.04	0.08	0.09
79	युगांडा	0.01	0.04	0.07	0.06
80	उरुग्वे	0.07	0.05	0.07	0.04
81	लेबनान	0.02	0.07	0.07	0.03
82	जार्डिन	0.05	0.08	0.06	0.05
83	सोमालिया	0.12	0.08	0.06	0.02

84	जॉर्जिया	0.01	0.01	0.05	0.00
85	मैसेडोनिया	0.06	0.04	0.05	0.03
86	पुर्तगाल	0.07	0.02	0.05	0.04
87	उज़्बेकिस्तान	0.03	0.03	0.05	0.01
88	येमेन रिपब्लिक	0.05	0.08	0.05	0.04
89	कॉर्गो पी रिप	0.00	0.01	0.04	0.00
90	घाना	0.01	0.03	0.04	0.01
91	सर्बिया	0.05	0.06	0.04	0.02
92	डोमिनिक रिप.	0.01	0.04	0.03	0.04
93	एल साल्वाडोर	0.00	0.12	0.03	0.02
94	इथियोपिया	0.00	0.03	0.03	0.00
95	पेरु	0.00	0.01	0.03	0.03
96	सूदान	0.11	0.25	0.03	0.06
97	सीरिया	0.04	0.02	0.03	0.00
98	अज़रबैजान	0.00	0.01	0.02	0.00
99	केन्या	0.04	0.07	0.02	0.05
100	पेराग्वे	0.00	0.00	0.02	0.00
101	अल्बानिया	0.01	0.00	0.01	0.00
102	भूटान	0.00	0.00	0.01	0.00
103	फ्यूजी	0.00	0.01	0.01	0.01
104	गुआडेलूप	0.01	0.00	0.01	0.00
105	हॉंडुरास	0.00	0.02	0.01	0.01
106	कजाखस्तान	0.01	0.00	0.01	0.00
107	मालदीव	0.02	0.01	0.01	0.01
108	निकारागुआ	0.00	0.00	0.01	0.00
109	त्रिनिदाद	0.00	0.01	0.01	0.00
110	वेनेझुएला	0.04	0.00	0.01	0.00
111	बहामास	0.00	0.00	0.00	0.00
112	बारबाडोस	0.00	0.00	0.00	0.00
113	बेलारूस	0.00	0.01	0.00	0.00
114	बेलीज़	0.00	0.00	0.00	0.00
115	बेनिन	0.00	0.00	0.00	0.00
116	बोलिविया	0.02	0.03	0.00	0.01
117	बोस्निया हरजगोविन	0.00	0.00	0.00	0.00
118	बोत्सवाना	0.01	0.02	0.00	0.00
119	ब्रुनेई	0.02	0.00	0.00	0.01
120	बुर्किना फासो	0.00	0.00	0.00	0.00
121	सी आफरी रिप	0.00	0.00	0.00	0.00
122	कैमरून	0.00	0.00	0.00	0.00
123	केमेन	0.00	0.00	0.00	0.00
124	कोट डी आईवारे	0.00	0.00	0.00	0.00
125	साइप्रस	0.00	0.00	0.00	0.00
126	डोमिनिका	0.00	0.00	0.00	0.00
127	गुयाना	0.00	0.00	0.00	0.00
128	आइसलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00

129	जर्मैका	0.00	0.00	0.00	0.00
130	कोरिया डीपी आरपी	0.00	0.00	0.00	0.00
131	क्रिगिस्तान	0.00	0.00	0.00	0.00
132	लीबिया	0.08	0.13	0.00	0.00
133	मकाओ	0.00	0.00	0.00	0.00
134	मेडागास्कर	0.46	0.00	0.00	0.00
135	मलावी	0.00	0.00	0.00	0.00
136	मार्टीनिक	0.00	0.01	0.00	0.00
137	मंगोलिया	0.00	0.00	0.00	0.00
138	मॉटेनेग्रो	0.00	0.00	0.00	0.01
139	मोज़ाम्बिक	0.00	0.00	0.00	0.00
140	नीदरलैंड एंटील	0.12	0.00	0.00	0.00
141	पपुआ एन जीएनए	0.00	0.00	0.00	0.00
142	रीयूनियन	0.00	0.00	0.00	0.01
143	सेनेगल	0.00	0.00	0.00	0.00
144	सेशल्स	0.00	0.00	0.00	0.00
145	सियरा लिओन	0.00	0.00	0.00	0.00
146	सेंट लूसिया	0.00	0.00	0.00	0.00
147	सूरीनाम	0.00	0.00	0.00	0.00
148	टोगो	0.01	0.00	0.00	0.01
149	यूएस माइनर के बाहर द्वीप	0.00	0.00	0.00	0.07
150	जाम्बिया	0.00	0.00	0.00	0.00
151	अंगोला	0.00	0.00	0.00	0.00
152	आर्मेनिया	0.00	0.00	0.00	0.00
153	जिबूटी	0.00	0.00	0.00	0.00
154	गैबॉन	0.00	0.00	0.00	0.00
155	गाम्बिया	0.00	0.00	0.00	0.00
156	गिनी बिसाऊ	0.00	0.00	0.00	0.00
157	लाइबेरिया	0.00	0.00	0.00	0.00
158	माल्टा	0.00	0.00	0.00	0.00
159	मोल्डोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
160	मॉटेसराट	0.00	0.00	0.00	0.00
161	नाइजर	0.00	0.00	0.00	0.00
162	पनामा रिपब्लिक	0.01	0.01	0.00	0.00
163	रवांडा	0.00	0.00	0.00	0.00
164	ज़िम्बाब्वे	0.00	0.00	0.00	0.00

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2634

दिनांक 4 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ व्यापार

2634. श्री विजय कुमार दुबे:

श्री धनुष एम. कुमारः
श्री जी. सेल्वमः
श्री सोयम बापू रावः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत ने हाल ही में 11वीं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) शिखर सम्मेलन में भाग लिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा उक्त सम्मेलन का थीम क्या था;
- (ख) क्या भारत अन्य ब्रिक्स राष्ट्रों में व्यापार बाधा/गैर-शुल्क बाधाओं का सामना कर रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) क्या ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच व्यापार उनके संबंधित कुल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना में काफी कम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारत का ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ व्यापार का देश-वार व्यौरा क्या है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की तुलना में भारत की अंतर-ब्रिक्स व्यापार में कितनी हिस्सेदारी है;
- (ङ) उक्त सम्मेलनों के परिणामस्वरूप वित्त और व्यापार के क्षेत्र में सामान्य तौर पर विकासशील देशों विशेषकर भारत को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है;
- (च) क्या सरकार ने व्यापार में वृद्धि के लिए ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ चर्चा की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा इस पर ब्रिक्स राष्ट्रों की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (छ) सरकार द्वारा ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ व्यापार में वृद्धि करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों या उठाए जाने वाले कदमों का व्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

- (क): भारत ने दिनांक 14 नवंबर, 2019 को “अभिनव भविष्य के लिए आर्थिक वृद्धि” विषय पर ब्रासिलिया में आयोजित 11वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था।
- (ख): वर्ष 2018 में ब्रिक्स राष्ट्र व्यापार को सुलभ बनाने और परस्पर व्यापार प्रवाह में वृद्धि करने की दृष्टि से व्यापार के तकनीकी अवरोधों की पहचान करने, रोकने और प्रशमन करने के लिए तकनीक विनियमों, मानकों, मीट्रोलोजी एवं संपुष्टता आकलन प्रक्रियाओं सम्बंधी

अबाध्यकारी एवं स्वैच्छिक वर्किंग तंत्र बनाने पर सहमत हुए थे। ब्रिक्स राष्ट्रों सहित भारत के व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार संस्थागत तंत्रों जैसे संयुक्त आयोग की बैठकों (जेसीएमएस) और संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) के माध्यम से बाजार पहुंच और गैर प्रशुल्क उपायों जैसे मुद्दों का नियमित आधार पर समाधान करती है।

(ग) और (घ) : इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का उसके वैश्विक व्यापार में प्रतिशत हिस्सा 10.61 प्रतिशत (2017) है। इंट्रा ब्रिक्स व्यापार का ब्यौरा अनुबंध - I तालिका 1 में दिया गया है। वर्तमान वर्ष सहित विगत पांच वर्षों के दौरान ब्रिक्स राष्ट्रों के साथ भारत के व्यापार का देश वार ब्यौरा अनुबंध-I तालिका 2 में दिया गया है। भारत का इंट्राब्रिक्स व्यापार का इसके वैश्विक व्यापार में प्रतिशत हिस्सा अनुबंध I तालिका 3 में दिया गया है।

(ड.) (च) और (छ) : इन सम्मेलनों में भागीदारी पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। ये वार्ताएं विभिन्न मुद्दों पर अनुरूपता विकसित करने में सहायता करती हैं और इनसे ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच व्यापार तथा निवेश संबंधों में घनिष्ठ सहयोग और सुदृढ़ता प्रदान की जा सकती है। इन वर्षों में व्यापार और निवेश के क्षेत्र में ब्रिक्स भागीदारों के बीच सतत भागीदारी के माध्यम से सहयोग सुदृढ़ हुआ है। ब्रिक्स और अन्य विकासशील देशों में अवसंरचना तथा सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों का प्रबंध करने के उद्देश्य से न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। इस वर्ष व्यापार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स व्यापार तथा निवेश संवर्धन एजेंसियों/व्यापार संवर्धन संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये। यह ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक व्यापार को सुगम बनाने के लिए व्यापार एवं निवेश संवर्धन एजेंसियों/व्यापार संवर्धन संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु रूपरेखा प्रदान करता है। ब्रिक्स संयुक्त व्यापार अध्ययन समीक्षा की गई और इस अध्ययन से ब्रिक्स राष्ट्रों में अधिक पारस्परिक ज्ञान, आर्थिक सहयोग के साथ-साथ व्यापार और निवेश अवसरों को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

तालिका 1: इंट्रा ब्रिक्स व्यापार डेटा (मूल्य बिलियन अम.डा में) (2017)

देश	विश्व	ब्राजील	चीन	भारत	रूस	दक्षिण अफ्रिका	इंट्रा ब्रिक्स	इसके वैश्विक व्यापार का % हिस्सा
ब्राजील	368.49		74.81	5.38	7.60	2.00	89.79	24.37%
चीन	4107.16	87.81		84.22	84.39	39.20	295.61	7.20%
भारत	587.36	7.97	84.42		10.12	10.96	113.47	19.32%
रूस	738.42	5.23	85.90	8.32		0.83	100.28	13.58%
दक्षिण अफ्रिका	171.30	1.96	23.89	0.75	8.05		34.65	20.23%
ब्रिक्स	5972.73						633.81	10.61%

स्रोत: कॉम्प्ट्रेड

तालिका 2: ब्रिक्स के साथ भारत का व्यापार (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

समकक्ष	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-20
ब्राजील	11.4	6.7	6.5	8.6	8.2	3.5
चीन	72.3	70.7	71.5	89.7	87.1	44.7
रूस	6.3	6.2	7.5	10.7	8.2	4.9
दक्षिण अफ्रीका	11.8	9.5	9.4	10.7	10.6	5.4
भारत का कुल इंट्रा-ब्रिक्स	101.9	93.1	94.8	119.6	114.1	58.5

स्रोत: डीओसी

तालिका 3: वैश्विक व्यापार के लिए भारत के इंट्रा-ब्रिक्स व्यापार का प्रतिशत हिस्सा

देश	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-20
ब्राजील	1.5	1.04	0.99	1.11	0.97	0.9
चीन	9.54	10.99	10.82	11.66	10.31	11.0
रूस	0.84	0.96	1.13	1.39	0.97	1.2
दक्षिण अफ्रीका	1.56	1.48	1.42	1.39	1.25	1.3
भारत का इंट्रा-ब्रिक्स	13.44	14.47	14.36	15.55	13.5	14.4

स्रोत: डीओसी

नोट: 2019-20 का डेटा अप्रैल से सितंबर, 2019 तक का है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2598

दिनांक 4 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

अंगूर किसानों को सहायता

2598. डॉ. भारती प्रवीण पवार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में विशेषकर नासिक जिले में अंगूर किसानों को प्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों को निर्यात करने के लिए कोई सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) एवं (ख) : कृषि उत्पादों जैसे अंगूरों के निर्यात का संवर्धन करना एक सतत प्रक्रिया है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त संगठन “कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण” (एपीडा) को अंगूरों के निर्यात संवर्धन का कार्य सौंपा गया है। एपीडा ने ग्रेपनेट कार्यान्वित की है जो निर्यातकों के परामर्श के आधार पर एनआरसी, पुणे द्वारा अभिज्ञात मानकों के अनुपालन में पणधारियों को भारत से निर्यात के लिए अंगूरों के परीक्षण एवं प्रमाणीकरण की सुविधा के लिए दी गई वेब-आधारित सेवा है। ग्रेपनेट भारत में अंगूर आपूर्ति शृंखला के भीतर पणधारियों द्वारा प्रविष्ट किए गए अग्र एवं पश्च ट्रेसेज और गुणवत्ता आश्वासन आंकड़ों को इकट्ठा करता है, संगहित करता है और रिपोर्ट देता है। इसके अलावा, एपीडा अपनी निर्यात संवर्धन स्कीम के विभिन्न घटकों के तहत अंगूर निर्यातकों को सहायता भी उपलब्ध करा रहा है। कृषि निर्यात नीति के तहत महाराष्ट्र के पुणे, नासिक और सांगली जिलों को अंगूरों के निर्यातोन्मुखी उत्पादन के लिए क्लस्टर के रूप में चिह्नित किया गया है। अंगूरों का सीधे निर्यात करने वाले किसान, अंगूरों के निर्यात हेतु निर्यातकों को उपलब्ध सभी प्रकार की सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

(ग): उपरोक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2594

दिनांक 4 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

स्वर्ण की मांग में गिरावट

2594. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में वित्त वर्ष (एफवाई) 2019–20 की दूसरी छमाही में स्वर्ण की मांग में 38 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है;
- (ख) क्या वित्त वर्ष 2018–19 की दूसरी छमाही में सोने की बिक्री में 35 प्रतिशत से अधिक की कमी के पीछे मुख्य कारण आर्थिक मंदी है; और
- (ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा स्वर्ण की मांग और बिक्री को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों/उठाए जा रहे कदमों का व्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): घरेलू बाजार में सोने की मांग और बिक्री का मापन करने की कोई प्रणाली नहीं है।

दिनांक 4 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम

2585: श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सभी योजनाओं/हस्तक्षेपों और उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है;
- (ख) व्यापार वातावरण में सुधार करने हेतु औद्योगिक नीति और भारत में विदेशी निवेश के लिए किए गए सुधारों का व्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा मुक्त व्यापार के बेहतर कार्यनिष्ठादन के संबंध में अन्य राष्ट्रों की तुलना में भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) सरकार भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए छूट/शुल्क वापसी, संभारतंत्र की लागत की पुर्ति हेतु व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात को सहायता, राज्यों को अवसंरचना संबंधी सहायता आदि जैसे विभिन्न उपाय कार्यान्वित करती रही है। महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- i. नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015–20 1 अप्रैल, 2015 को आरंभ की गई। इस नीति में अन्य बातों के साथ–साथ पूर्व की निर्यात संवर्धन स्कीमों को तर्कसंगत बनाया गया और दो नई स्कीमें अर्थात् माल के निर्यात में सुधार लाने के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए 'भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)' आरंभ की गई। इन स्कीमों के अंतर्गत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय बनाए गए। दिसम्बर, 2017 में विदेश व्यापार नीति की मध्यावधि समीक्षा में, 8450 करोड़ रु. के वित्तीय वार्षिक निहितार्थ के साथ समान रूप से श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दरों में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
- ii. लाजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास का समन्वय करने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नये लाजिस्टिक्स प्रभाग का सृजन किया गया। विश्व बैंक के लाजिस्टिक्स कार्यनिष्ठादन सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2014 में 54 वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया।
- iii. पूर्व एवं पश्च पोतलदान रूपये निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 1.4.2015 से प्रारंभ किया गया जिससे श्रम सघन/एमएसएमई क्षेत्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज समकरण प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 2.11.2018 से एमएसएमई क्षेत्रों के लिए दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया और दिनांक 2.1.2019 से स्कीम के अंतर्गत मर्चेन्ट निर्यातकों को शामिल किया गया।
- iv. व्यापार करने की सुगमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए। विश्व बैंक में "व्यापार करने की सुगमता" में भारत का रैंक वर्ष 2014 में 142 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 63 हो गया तथा "सीमा पार व्यापार" में रैंक 122 से 80 हो गया।
- v. देश में निर्यात अवसंरचना अंतर को पाटने के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस)" को प्रारंभ किया गया।

- vi. दिनांक 6 दिसम्बर, 2018 को एक व्यापक "कृषि निर्यात" नीति प्रारंभ की गई जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना तथा कृषि निर्यात को बल प्रदान करना है।
- vii. विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु परिवहन की उच्च लागत के नुकसान को कम करने के लिए एक नई स्कीम नामतः "परिवहन एवं विपणन सहायता" (टीएमए) स्कीम प्रारंभ की गई है।
- viii. वस्त्र और निर्मितियों के निर्यात को शामिल करते हुए एक नई स्कीम नामतः राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी से छूट प्रदान करने हेतु स्कीम (आरओएससीटीएल) को दिनांक 7.3.2019 को अधिसूचित किया गया जिसके अंतर्गत उच्च दरों पर शुल्कों/करों का रिफंड दिया जा रहा है।
- ix. बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के माध्यम से, विदेशों में सांविधिक अनुपालन को पूरा करने पर भारतीय निर्यातकों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है, जिसके तहत हाल ही में प्रति निर्यातक अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है।
- x. जहां तक निर्यात संवर्धन में राज्यों को शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों का संबंध है, राज्य सरकारों से निर्यात आयुक्त के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करने का अनुरोध किया गया है, जो राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों से अपेक्षित सभी निर्यात प्रयासों का समन्वय कर सके।

(ख) और (ग) सरकार, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और मुक्त व्यापार समझौते का बेहतर उपयोग कर बाजार पहुंच में सुधार करने के लिए, "व्यापार करने की सुगमता" में सुधार और नीतिगत उपायों के माध्यम से भारतीय उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विनियामक वातावरण व्यवसाय के विकास को प्रभावित करता है। कम विनियामक बोझ के कारण उद्यमी अपना समय मूलभूत उत्पादक गतिविधियों पर लगा सकते हैं। यह अनुपालन के संदर्भ में लागत को भी कम करता है क्योंकि विनियामक विशेषज्ञों का उपयोग करने की आवश्यकता कम हो जाती है। हाल के दिनों में व्यावसायिक वातावरण में सुधार लाने और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ कदमों का व्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

अनुलग्नक

दिनांक 04.12.2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अता. प्र. सं. 2585 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित

- i. विश्व बैंक ने दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डीबीआर) 2020 जारी की थी। डूइंग बिजनेस टीम द्वारा किए गए आकलन के अनुसार 190 देशों में से भारत 63 वें स्थान पर आता है। भारत ने डीबीआर 2019 में अपने 77 वें स्थान से 14 स्थानों को लांघ दिया है। डीबीआर 190 अर्थ-व्यवस्थाओं का आकलन है और इसमें किसी व्यापार के जीवन-चक्र की अवधि को शामिल करने वाले 10 संकेतक सम्मिलित किया जाना है। विश्व बैंक के डीबीआर 2020 में भारत का संकेतक-वार स्थान निम्नानुसार हैः—

क्रम सं.	संकेतक	स्थान
1	व्यापार शुरू करना	136
2	भवन निर्माण परमिट लेना	27
3	विद्युत प्राप्त करना	22
4	संपत्ति का पंजीकरण कराना	154
5	ऋण प्राप्त करना	25
6	अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण करना	13
7	करों का भुगतान करना	115
8	सीमा पार व्यापार करना	68
9	संविदाओं को लागू करना	163
10	दिवालियापन का समाधान करना	52
	समग्र	63

भारत ने 10 संकेतकों में से 7 में अपने स्थान में सुधार किया है और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के नजदीक पहुंच गया है। रिपोर्ट के 2020 संस्करण में भारत को तीन वर्षों में 67 स्थानों का सुधार करने वाले तीन बार लगातार शीर्ष 10 सुधार करने वाले देशों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे वर्ष 2011 से किसी बड़े देश द्वारा लगायी जाने वाली लंबी छलांग भी कहा जा सकता है। देश में व्यापार वातावरण को सुगम बनाने हेतु सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए संकेतक-वार कुछ प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैंः—

(क) **व्यापार शुरू करना:**— भारत ने एसपीआईसीई कंपनी के संस्थापन फार्म, इलेक्ट्रानिक संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम हेतु फाइलिंग शुल्क को समाप्त करके दिल्ली और मुम्बई दोनों में इसे लागू करके व्यापार प्रारंभ करना आसान किया है।

(ख) **भवन निर्माण परमिट प्राप्त करना:**— दिल्ली में निर्माण परमिटों को प्राप्त करना सरल किया गया जिससे भवन-निर्माण परमिटों को प्राप्त करने हेतु लगने वाले समय और लागत कम हुई, पेशेवर प्रमाणन आवश्यकताओं के सुदृढ़ीकरण द्वारा भवन-निर्माण गुणवता नियंत्रण में सुधार हुआ। मुम्बई में भवन-निर्माण परमिटों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया और इसे जांच शुल्क की लागत में 90 प्रतिशत तक कमी आई। इन सुधारों को प्रारंभ करने के परिणाम-स्वरूप पिछले वर्ष 52 वें स्थान से 25 स्थानों को लांधते हुए डीबीआई 2020 में 27वां स्थान प्राप्त किया गया। साथ ही सीमा से दूरी भी 73.81 से बेहतर होकर 78.7 हुई।

(ग) **सीमा पार व्यापार करना:**— सीमा पार व्यापार को स्वीकृति के बाद लेखा परीक्षा को समर्थ बनाकर, व्यापार स्टेकहोल्डरों को एक सिंगल इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर एकीकृत करके, पत्तन अवसंरचना का उन्नयन करके और दस्तावेजों को इलेक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत करने को बढ़ावा देकर आसान किया गया। यह सुधार दिल्ली और मुम्बई दोनों पर लागू है।

(घ) दिवालियापन का समाधान करना:- दिवालियापन का समाधान करने में भारत का स्थान 108 से 56 स्थानों को लांघते हुए बेहतर होकर 52 वां हो गया और सीमा से दूरी 40.84 से बेहतर होकर 62.0 हो गई। भारत ने व्यवहार में पुनर्गठन कार्यवाही को बढ़ावा देकर दिवालियापन के समाधान को सरल बनाया। इन्साल्वंसी एंड बैक्रांप्सी कोड 2016 को दिवालियापन के समाधान के तरीके के रूप में मान्यता दी गई है। साथ ही दिवालियापन के समाधान में लगने वाली समयावधि अब ओईसीडी देशों के तुलनीय है।

ii. व्यापारिक वातावरण में सुधार लाने और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए की गई अन्य वर्ष-वार पहले निम्नानुसार हैं:-

(क) 2014: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श से दिसम्बर 2014 में विनियामक संरचनाओं को सुव्यवस्थित करके और लालफीताशाही को कम करके निवेशकों के अनुकूल व्यापार वातावरण बनाकर व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक व्यापक सुधार कार्य आरंभ किया है।

(ख) 2015: एक 285 सूत्री राज्य सुधार कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया। विश्व बैंक ने भी डीपीआईआईटी के साथ इस सुधार योजना कार्य को गति प्रदान करने के लिए भागीदारी की और सुधारों के महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सम्बंधित विभागों की सहायता के लिए 18 कार्यशालाएं आयोजित की। राज्यों का मूल्यांकन उनके द्वारा इन सुधारों के कार्यान्वयन के आधार पर किया गया और व्यापार करने में आसानी के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग पहली बार सितम्बर, 2015 में जारी की गई। मूल्यांकन के निष्कर्षों को “राज्य के व्यापार सुधारों के कार्यान्वयन का आकलन” नामक रिपोर्ट में संकलित किया गया।

(ग) 2016: डीपीआईआईटी ने 2016 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके 340 सूत्री एक कार्य योजना जारी की जिसमें किसी विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र में शामिल 10 सुधार क्षेत्रों में फैले 58 विनियामक प्रक्रियाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं पर सिफारिशें शामिल थी। राज्यों से सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अंतिम रैंकिंग 31 अक्टूबर 2016 में 48.93% के राष्ट्रीय कार्यान्वयन औसत के साथ प्रकाशित किया गया जो कि 2015 में 32% के राष्ट्रीय औसत से अधिक था। 2016 में सुधार कार्य ने अधिक भागीदारी देखी और 12 राज्यों ने 90% से अधिक कार्यान्वयन अंक प्राप्त किए।

(घ) 2017–18: 2017 में, सुधार कार्य में 372 कार्रवाई बिन्दू शामिल थे जिनमें केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली, व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन प्रणालियों, कानूनी मापिकी अधिनियम 2009 के अंतर्गत पंजीकरण, और पार्टनरशिप फर्म एंड सोसाइटीज के पंजीकरण को जोड़ा गया है। वर्ष 2017–18 के लिए मूल्यांकन डीपीआईआईटी और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 10 जुलाई, 2018 को जारी किया गया था। 18 राज्यों ने 80 प्रतिशत और इससे अधिक कार्यान्वयन प्राप्तांक दर्ज किए—ये राज्य देश के कुल क्षेत्रफल और सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में बहुसंख्यक हैं। इस सुधार कार्य के तहत कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार थीं:

- i. 19 राज्यों ने सभी अनुमोदनों, लाइसेंस, पंजीकरण समयसीमा, व्यवसाय/औद्योगिक इकाई स्थापित करने (पूर्व-संस्थापना और पूर्व प्रचालन) के लिए प्रक्रिया हेतु सूचना प्रदान करने वाली सूचना प्रणाली को तैयार किया है।
- ii. 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित किया है।
- iii. 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) लागू की है, जो राज्य में औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित भूमि के बारे में विवरण प्रदान करती है।

- iv. 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या को घटाकर केवल दो कर दिया है।
- v. 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा श्रम, फैक्टरी, ब्यायलर विभागों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा संचालित सभी अनुपालन निरीक्षणों को केन्द्रीय निरीक्षण ढांचे के तहत लाया गया है।
- vi. 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रदूषण की मंजूरी लेने से छूट प्राप्त श्वेत श्रेणी के उद्योगों की एक सूची को अधिसूचित किया है।

ड. 2019: दिनांक 15.06.2019 तक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वर्ष 2019 के लिए 80 सुधार सूत्री कार्य योजना साझा की गई थी। वर्ष 2019 के लिए कार्य योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि मूल्यांकन केवल उपयोगकर्ताओं और उद्योगों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है। इसके अलावा, एक 218 सूत्री जिला सुधार कार्य योजना जो 8 क्षेत्रों में फैली हुई है, जिन्हें निर्माण के लिए व्यवसाय शरू करने, शहरी स्थानीय निकाय सेवाओं, करों का भुगतान, भूमि सुधार सहायक, भूमि प्रशासन और संपत्ति पंजीकरण सहायक, अनुमोदन प्राप्त करने, विविध और शिकायत निवारण/काजगरहित कोर्ट एवं कानून और व्यवस्था हेतु लक्षित कार्रवाई के लिए तैयार किया गया है। जिला सुधार योजना में 43 अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमतियां/पंजीकरण/ प्रमाणपत्र शामिल है, जिससे रिटेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य और पेय पदार्थ, रियल एस्टेट, रत्न और आभूषण, खनन और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में व्यापार करने में सुगमता होगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए फीडबैक हेतु प्रस्तावित प्रश्नावली भी राज्यों के साथ साझा की गई है। ऐसी प्रश्नावली जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन और ऑनलाइन प्रणाली के उपयोग की प्रभावशीलता, अनिवार्य समय-सीमा के पालन और आवेदक और विभाग/एजेंसी के बीच वास्तविक संपर्क-बिंदु की कमी का आकलन करेगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस सुधार में भागीदारी करने और जिलों में फीडबैक कार्य को आयोजित करने का दायित्व लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2577

दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

एस. ई. जेड. की भूमि का उपयोग

2577. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):

व्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उस भूमि का वापिस अर्जन करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जिसे विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में आवंटित किया गया था लेकिन जिसका उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं हो रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(ग) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के रूप में आवंटित की गई भूमि के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि सं.18 के अनुसार 'भूमि' राज्य का विषय है। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) समय-समय पर यथासंशोधित एसईजेड अधिनियम, 2005 और नियम, 2006 में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित करता है। संबंधित राज्य सरकार द्वारा एसईजेड की स्थापना की संस्तुति के पश्चात ही अनुमोदन दिया जाता है। अनुमोदन के पश्चात, विकासकर्ताओं द्वारा एसईजेड परियोजना के कार्यान्वयन की विकास आयुक्तों द्वारा एसईजेड अधिनियम और नियमों के अनुसार नियमित आधार पर निगरानी की जाती है। इस निगरानी के आधार पर, एसईजेड अधिनियम/नियमों के उल्लंघन के मामले में, विकासकर्ताओं को हुए किसी प्रकार के वित्तीय लाभ की वसूली के साथ-साथ उल्लंघन के मामले में उन्हें दण्ड देने के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है। संबंधित विकास आयुक्त की संस्तुति और संबंधित राज्य सरकार के साथ-साथ राजस्व विभाग से अनापत्ति मिलने के आधार पर अनधिसूचन किया जाता है। इसके अलावा, एसईजेड नियम, 2006 के नियम 11(9) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार एसईजेड में भूमि की बिक्री की अनुमति नहीं हैं।

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2562

दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात

2562. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री मारगनी भरतः

श्री राजीव प्रताप रुड़ीः

श्री जयदेव गल्लाः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2004 से लेकर अब तक भारत से कृषि, प्रसंस्कृत और मत्स्य पालन निर्यात उत्पादों का रूपये में मूल्य और मात्रा राज्य-वार, वर्ष-वार और उत्पाद-वार कितनी है;
- (ख) भारत में आयात किए गए कृषि उत्पादों का मूल्य और मात्रा राज्य-वार, वर्ष-वार और उत्पाद-वार कितनी है;
- (ग) क्या कृषि निर्यात में वर्ष 2013–14 में 42,800 मिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2017–18 में 38,000 अमरीकी डॉलर की गिरावट हुई है;
- (घ) यदि हां, तो निर्यात में गिरावट के क्या कारण हैं और किन देशों को किए जाने वाले निर्यात में कमी आई है;
- (ङ) कैबिनेट द्वारा हाल ही में स्वीकृत कृषि निर्यात नीति, कृषि निर्यात में वृद्धि करने में कितनी सहायक है और इसके अन्तर्गत क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;
- (च) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्यों के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में वृद्धि करने के लिए की गई/की जाने वाली रणनीतिक और परिचालन संबंधी पहलों का ब्यौरा क्या है; और
- (छ) क्या उक्त पहलों से राजस्थान के किसानों सहित छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिला है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 2004-05 से 2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर) तक भारत से वर्ष-वार व उत्पाद-वार कृषि, प्रसंस्कृत व जलीय कृषि निर्यात का ब्यौरा **अनुबंध-I** में देखा जा सकता है। भारत के कृषि उत्पादों का विवरण **अनुबंध-II** में देखा जा सकता है। निर्यात व आयात संबंधी राज्य-वार आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) द्वारा संरक्षित नहीं रखे जाते हैं।

(ग) : जी, हां। भारत के कृषि निर्यात वर्ष 2013-14 में 42.83 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर वर्ष 2017-18 में 38.21 बिलियन अमरीकी डालर के हो गए।

(घ) : इन निर्यातों पर कई कारकों जैसे स्थिर और गिरते वैश्विक मूल्यों, वैश्विक आर्थिक मंदी, कच्चे तेल का कम मूल्य जिसका प्रभाव चीनी, वनस्पति तेलों और अन्य जैविक ईंधनों पर पड़ता है, कम वैश्विक मांग, कमजोर घरेलू फसलें (घटता रकबा/कम उपज/खराब गुणवत्ता), घरेलू मूल्यों की तुलना में कम अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, प्रतिस्पर्धी देशों में मुद्रा संचालन, रूस एवं ईरान इत्यादि पर प्रतिबंधों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि का प्रभाव पड़ता है। इस अवधि के दौरान, प्रमुख आयातक देश, जिनको भारत के कृषि निर्यात में गिरावट हुई, वे बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान, चीन व मलेशिया हैं।

(ड.) तथा (च) : निम्नलिखित विज्ञन को ध्यान में रखकर सरकार ने एक व्यापक कृषि निर्यात नीति की शुरूआत की है :

“उपयुक्त नीतिगत उपायों द्वारा भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता को बढ़ाकर भारत को कृषि में वैश्विक शक्ति बनाना और किसानों की आय बढ़ाना।”

अन्य बातों के साथ-साथ कृषि निर्यात नीति के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- (i) हमारी निर्यात बास्केट एवं गंतव्यों में विविधता लाना और विकारी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ उच्च मूल्य एवं मूल्य वर्धित कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना।
- (ii) नए स्वदेशी, जैविक, प्रजातीय, पारम्परिक एवं गैर-परम्परागत उत्पादों के निर्यात का संवर्धन का करना।
- (iii) बाजार पहुंच, अवरोधों से निपटने और स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता मुद्रों के लिए सांस्थानिक तंत्र उपलब्ध कराना।
- (iv) वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ समेकन करके विश्व कृषि निर्यात में भारत की हिस्सेदारी को दोगुना करने का प्रयास करना।
- (v) किसानों को विदेशी बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना।

कृषि निर्यात नीति में परिकल्पित प्रस्तावों को दो श्रेणियों में रखा गया है - नीतिगत एवं प्रचालनात्मक - जिनका व्यौरा अधोलिखित है :

नीतिगत	नीतिगत उपाय
	अवसंरचना एवं संभार तंत्र सहाय
	निर्यात को बढ़ाने के लिए समग्र दृष्टिकोण
	कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की वृहद भागीदारी

प्रचालनात्मक	कलस्टरों पर ध्यान केंद्रित करना
	मूल्यवर्धित निर्यातों को प्रोत्साहित
	‘ब्रांड इंडिया’ का विपणन और संवर्धन
	उत्पादन और प्रसंस्करण में निजी निवेश का आकर्षित करना
	सशक्त गुणवत्ता नियमों की स्थापना
	अनुसंधान एवं विकास
	विविध

कृषि निर्यात नीति को क्रियान्वयन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- (i) एईपी के क्रियान्वयन को मॉनीटर करने के लिए एक अंतरमंत्राल-यी समिति (आईएमसी) गठित की गई है।
- (ii) खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक कृषि वस्तुओं की पहचान करने के लिए “आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा” पर मौजूदा सीओएस में अधिदेश का विस्तार किया गया है, जो जरूरत पड़ने पर निर्यात प्रतिबंधों के अधीन रहेगा।
- (iii) कृषि निर्यात नीति पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।
- (iv) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने राज्य-विशिष्ट कार्य योजना तैयार की है और उन्हें संबंधित राज्यों के साथ विधीक्षा और अंतिम रूप देने के लिए साझा किया गया है। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने अपनी-अपनी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।
- (v) कृषि निर्यातों के संवर्धन के लिए 27 राज्य तथा 2 केंद्र शासित क्षेत्रों को नोडल अभिकरण मनोनीत किया गया है।
- (vi) एपीडा और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने कृषि निर्यात में सहकारी समितियों को अधिक भागीदारी के लिए एक समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- (vii) राज्य प्राधिकारियों, सहकारी समितियों, निर्यातकों के बीच क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनसीडीसी के साथ अक्तूबर से दिसम्बर, 2019 के दौरान चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जा रहा है।
- (viii) एपीडा ने अपनी वेबसाइट पर एक किसान कनेक्ट पोर्टल की स्थापना की है, जो निर्यातकों के साथ परस्पर वार्ता के लिए एफपीओ, सहकारी समितियों के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- (ix) एईपी के तहत विशिष्ट उत्पादों के निर्यात उन्मुख उत्पादन के लिए कई समूहों की पहचान की गई है। एपीडा प्रत्येक राज्य में क्लस्टर स्तर पर निर्यातकों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के बीच क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन कर रहा है।
- (x) केंद्रीय सेक्टर की एक नई योजना - कृषि निर्यात नीति का क्रियान्वयन - वर्ष 2019-20 के लिए 206.80 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्वीकृत की गई है।

महाराष्ट्र राज्य सहित भारत से कृषि वस्तुओं का निर्यात संवर्धन करना एक अनवरत प्रक्रिया है। कृषि उत्पादों के निर्यात सहित निर्यातों का संवर्धन करने के लिए वाणिज्य विभाग की अनेक योजनाएं हैं जैसे निर्यात व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस) आदि। इसके अतिरिक्त, कृषि उत्पाद के निर्यातकों को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), समुद्री उत्पाद निर्यात विकास

प्राधिकरण (एम्पीडा), तम्बाकू बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड एवं मसाला बोर्ड की निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत भी सहायता उपलब्ध है। सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए माल ट्रूलाई क्षति को कम करने, माल भाड़े के अंतरराष्ट्रीय संघटक को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम “निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विपणन सहायता” भी शुरू की है।

(छ) : कृषि उत्पादों के निर्यात संवर्धन का कार्य कर रहे निर्यातकों, व्यापार संवर्धन संगठनों व राज्य अभिकरणों को कृषि निर्यात संवर्धन के लिए पहल/स्कीम के तहत सहायता/प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। राजस्थान के किसानों सहित, छोटे और सीमांत किसानों को होने वाले लाभ अप्रत्यक्ष प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि कृषि निर्यात में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसानों द्वारा अर्जित आय में वृद्धि होने की संभावना है।

भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात (2004-05 से 2008-09)

मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रुपये में

विवरण	यूनिट	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		मात्रा	मूल्य								
चाय	किलोग्राम	183,407.88	1840.30	162,856.23	1730.73	185,627.14	1969.51	197,393.10	2034.17	207,455.36	2688.87
कर्की	किलोग्राम	167,547.91	1069.08	177,684.66	1588.69	213,650.43	1969.00	178,302.70	1872.27	174,081.30	2255.76
दालें	टन	271.66	602.58	447.47	1115.21	250.72	773.34	164.21	526.41	136.28	540.22
चावल-बासमती	टन	1168.15	2824.11	1166.60	3043.10	1045.75	2792.81	1182.16	4340.82	1556.42	9477.03
चावल (बासमती के अलावा)	टन	3665.11	3944.81	2921.63	3178.17	3702.24	4243.10	5287.03	7410.98	931.89	1687.37
गेहूं	टन	2009.05	1459.82	746.18	557.53	46.64	35.35	0.24	0.24	1.12	1.46
अन्य अनाज	टन	1182.04	793.83	567.24	453.82	730.28	599.25	3228.06	3002.33	3999.65	3920.58
दुध उत्पाद		0.00	458.79	0.00	794.61	0.00	497.09	0.00	960.24	0.00	1130.08
पुष्प कृषि उत्पाद		0.00	222.92	0.00	301.45	0.00	652.70	0.00	340.30	0.00	368.81
अविनियित तंबाकू	किलोग्राम	135,787.81	940.07	142,702.35	1021.32	158,253.64	1251.28	173,344.84	1432.80	208,314.45	2766.27
अनियित तंबाकू		0.00	314.54	0.00	309.34	0.00	433.89	0.00	499.09	0.00	694.78
मसाले	किलोग्राम	366,345.93	1883.17	400,245.16	2115.98	482,795.24	3157.90	612,555.69	4204.50	673,875.65	6338.44
चीनी	टन	108.76	149.58	321.22	569.11	1643.41	3127.47	4684.57	5412.16	3332.08	4448.74
शीरा	टन	8.16	5.53	72.94	28.81	326.87	133.37	897.53	250.62	172.20	82.70
काजू गिरी शेल लिकिवड	किलोग्राम	5330.47	11.94	5941.61	8.67	8092.16	15.34	14781.21	25.17	10824.82	29.69
काजू	टन	118.12	2477.18	125.13	2584.70	122.80	2491.18	111.27	2209.60	126.15	2900.97
तिल के बीज	किलोग्राम	167,920.44	708.95	199,807.99	746.60	233,344.81	939.58	317,014.88	1642.29	196,980.29	1494.26
मूँगफली	टन	193.80	547.02	190.07	513.69	251.43	798.46	269.59	1054.08	297.89	1239.01
स्प्रिट और पेय		0.00	139.31	0.00	253.16	0.00	271.67	0.00	345.70	0.00	554.48
बवार गम खाद्य	टन	133.90	689.48	186.73	1049.23	189.34	1125.79	211.18	1125.75	258.57	1338.99
खाद्य तेल	टन	3623.23	3177.65	5976.01	4875.01	6437.44	5504.32	6908.50	8140.55	6742.94	10269.24
अरंडों का तेल	किलोग्राम	271,807.48	1077.98	254,717.98	939.74	294,873.30	1090.11	282,181.72	1275.72	357,261.36	2128.72
चपड़ा	किलोग्राम	8545.50	164.87	9297.92	159.99	7343.46	147.20	7901.70	123.97	6027.21	103.89
निगर बीज	किलोग्राम	26138.25	64.74	28424.67	60.25	30017.19	66.87	21682.86	90.03	13724.04	64.23
फल / सब्जी बीज	किलोग्राम	6725.10	65.99	7522.14	92.96	8104.09	121.59	10082.13	141.96	8535.53	119.99
ताजे फल		0.00	862.05	0.00	1120.69	0.00	1413.98	0.00	1446.59	0.00	1945.24
ताजी सब्जियां		0.00	862.87	0.00	919.81	0.00	1546.53	0.00	1477.89	0.00	2454.15
प्रोसेस्ड वेजेटेबल्स		0.00	362.55	0.00	494.48	0.00	650.23	0.00	602.18	0.00	711.22
प्रोसेस्ड फल और रस		0.00	369.37	0.00	599.91	0.00	711.40	0.00	773.40	0.00	1099.15
विविध प्रोसेस्ड मट्टे		0.00	907.96	0.00	989.53	0.00	1125.05	0.00	1362.39	0.00	2077.44
मास और उससे नियित मट्टे		0.00	1905.27	0.00	2750.17	0.00	3314.03	0.00	3749.47	0.00	5371.42
समुद्री उत्पाद	किलोग्राम	484,047.17	6469.21	554,196.97	7035.91	611,551.15	8001.04	490,059.95	6926.67	464,903.03	7066.69
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	टन	86.59	422.58	614.81	2904.35	1162.25	6107.81	1557.58	8865.39	457.56	2865.86
कुकुरूट उत्पाद		0.00	281.91	0.00	313.37	0.00	313.82	0.00	429.53	0.00	413.53
कुल			38078.00		45220.05		57392.04		74095.25		80649.27

भारत से कृषि उत्पादों का निर्वात (2009-10 से 2014-15)

मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रुपये में

विवरण	शुनिट	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	किलोग्राम	207,839.07	2943.53	238,146.24	3354.34	271,983.56	4078.53	268,799.83	4718.79	249,907.55	4873.34	234,388.70	4171.25
कॉफ़ी	किलोग्राम	157,138.32	2032.06	230,995.68	3009.91	276,520.99	4534.62	254,017.79	4711.07	253,902.13	4799.10	242,975.06	4973.25
चावल बासमती	टन	2016.87	10889.60	2330.25	11354.63	3169.45	15449.60	3459.83	19409.39	3754.10	29291.82	3698.93	27586.71
चावल (बासमती के अलावा)	टन	139.55	365.30	100.68	231.29	3991.77	8659.13	6687.85	14448.81	7136.19	17795.21	8302.21	20441.55
गेहूं	टन	0.03	0.05	0.40	0.70	749.63	1023.20	6514.82	10529.00	5572.03	9277.65	2924.05	4991.81
अन्य अनाज	टन	2881.22	2973.19	3220.09	3648.49	4072.57	5492.92	5441.31	8180.61	4926.05	7178.14	3515.35	5262.16
दालें	टन	100.13	408.32	209.02	870.04	173.50	1067.93	202.67	1284.99	345.66	1749.30	222.14	1218.31
अविनियमित तंबाकू	किलोग्राम	230,804.37	3621.44	215,879.82	3151.58	197,165.22	2899.46	230,414.16	3815.76	237,106.04	4782.74	219,572.23	4162.71
विनियमित तंबाकू	किलोग्राम	0.00	722.96	0.00	833.61	0.00	1106.96	0.00	1214.48	0.00	1351.72	0.00	1705.88
मसाले	किलोग्राम	601,402.12	5948.73	688,394.39	7886.51	858,200.11	13102.50	932,591.86	15176.75	895,914.70	15146.36	939,008.20	14847.75
काजू	टन	107.47	2801.58	92.38	2819.39	107.81	4390.16	104.09	4067.21	120.74	5095.49	134.57	5565.85
काजू गिरी शेल लिकिवड	किलोग्राम	11226.86	27.62	11918.03	33.77	13185.84	59.46	9191.51	29.84	9480.28	38.61	10937.59	55.81
तिल के बीज	किलोग्राम	215,693.18	1494.10	360,132.29	2307.52	388,225.49	2641.66	299,482.29	2880.85	257,441.09	3583.46	375,656.06	4717.77
निशर बीज	किलोग्राम	6004.09	24.23	12863.06	44.51	28225.08	117.27	17904.56	90.13	20841.06	113.61	18155.89	108.96
मुँगफली	टन	340.26	1425.93	433.76	2178.41	832.62	5246.45	535.64	4065.36	509.75	3187.66	788.31	4675.37
अन्य तेल बीज	टन	49.79	139.36	42.82	113.40	61.81	201.43	87.59	414.61	194.46	945.53	247.54	1135.36
वनस्पति तेल	टन	14.75	182.90	13.71	114.62	31.97	276.79	36.31	470.49	22.96	323.85	42.05	580.13
खाद्य तेल	टन	4671.14	7831.79	6945.17	11069.58	7405.19	11796.46	6578.17	16519.53	9830.21	17070.13	3904.59	8129.18
बवार गम खाद्य	टन	217.41	1133.31	421.43	2938.70	702.73	16523.87	406.32	21287.00	601.97	11735.41	665.11	9478.26
अरंडी का तेल	किलोग्राम	397,990.27	2179.28	424,458.12	2982.92	492,628.33	4571.67	565,994.07	4309.82	544,795.66	4364.33	566,463.64	4710.42
चपड़ा	किलोग्राम	4044.41	71.30	4333.86	140.07	4337.76	256.79	3603.66	401.74	7743.78	513.96	5242.54	267.47
चीनी	टन	44.74	110.21	1733.87	5472.79	2749.43	8766.78	2793.78	8576.32	2535.31	7178.50	1955.19	5328.83
शीरा	टन	31.10	19.77	371.93	214.09	384.13	204.33	342.15	223.03	211.65	147.29	247.61	193.01
फल / सब्जी बीज	किलोग्राम	8434.00	145.08	11622.33	184.92	15205.81	287.76	17168.00	347.72	19338.58	416.58	12499.31	427.04
ताजे फल	टन	475.76	1524.21	446.76	1355.19	487.95	1937.22	534.50	2686.55	525.18	3645.62	539.23	3160.08
ताजी सब्जियां	टन	2032.40	3014.32	1660.25	2620.48	2040.45	3023.31	2343.88	3407.19	2288.30	5384.47	2081.80	4666.45
प्रोसेस्ड बैंजीटेबल्स	किलोग्राम	0.00	743.12	0.00	747.92	175,114.17	1043.72	159,827.79	1102.56	132,366.77	1288.86	186,036.18	1721.89
प्रोसेस्ड फल और जूस	किलोग्राम	0.00	1904.18	0.00	1859.96	536,361.08	2277.04	536,811.78	2577.32	604,650.08	3332.05	588,375.09	3626.86
अनाज प्रोसेसेन्स	टन	172.20	1030.09	213.58	1264.15	299.62	1888.62	292.69	2240.76	319.55	2856.26	313.67	3036.64
कोको उत्पाद	किलोग्राम	5863.88	96.99	9077.54	126.97	16678.58	175.98	19083.35	293.92	16229.24	573.22	33365.20	848.66
मिल्ड उत्पाद	किलोग्राम	72740.53	153.63	99101.17	197.06	171,123.76	358.92	273,546.27	603.61	419,263.94	1008.01	420,854.41	1030.61
विविध प्रोसेस्ड आइटम्स		0.00	838.19	0.00	1065.48	0.00	1434.17	0.00	1853.98	0.00	2531.48	0.00	2772.45
पशु केसिंग	किलोग्राम	1716.90	32.82	1804.72	33.24	1011.22	33.98	645.84	21.46	266.72	28.46	260.15	19.33
ब्रैंस का मांस	टन	490.40	5481.43	726.66	8613.31	984.96	13741.11	1076.10	17408.99	1365.64	26457.82	1503.51	29282.58
ब्रेंड / बकरी मास	टन	53.07	745.94	12.30	258.83	10.94	252.83	15.29	426.47	22.61	694.12	23.61	828.11
अन्य मांस	टन	1.17	10.75	1.03	9.51	0.32	3.67	0.19	2.33	0.27	3.40	0.26	2.67
संसाधित मांस	टन	0.67	8.79	0.92	13.96	0.58	9.50	0.80	9.37	0.51	7.68	0.41	14.20
दुग्ध उत्पाद	किलोग्राम	0.00	796.99	0.00	1216.76	52497.25	647.79	127,255.69	2324.68	199,090.16	4407.78	104,170.98	2169.03
कुकुरुट उत्पाद		0.00	372.53	0.00	314.33	0.00	458.05	0.00	494.93	0.00	566.80	0.00	651.19
पुष्प कृषि उत्पाद	किलोग्राम	0.00	294.46	0.00	296.04	30924.20	365.32	27121.86	423.45	22179.80	455.90	22949.27	460.80
प्राकृतिक रबड़	टन	25.60	245.37	29.70	556.16	26.53	443.97	31.59	590.39	10.03	167.85	3.06	43.31
मादक पेय	एलटीआर	0.00	584.87	0.00	819.86	216,393.01	1469.07	270,490.38	1932.45	316,249.24	2429.67	269,997.23	2264.89
समुद्री उत्पाद	किलोग्राम	698,448.12	9899.98	785,069.04	11917.11	902,411.68	16584.71	965,099.42	18841.20	1,192,882.37	30627.28	1,231,807.69	33688.38
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	टन	0.00	9537.08	0.00	13162.42	2006.68	21624.24	2056.70	20276.51	1947.69	22337.84	1142.53	11642.64
कुल			84807.40		111,404.54		180,528.94		224,691.43		259,764.35		236,665.61

भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात (2015-16 से 2019-20)											
		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर)	
विवरण	यूनिट	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	किलोग्राम	245,701.97	4719.00	243,429.62	4905.64	272,894.98	5396.65	270,306.40	5828.34	154,573.61	3628.22
करंडी	किलोग्राम	255,744.05	5125.45	288,613.37	5646.43	317,828.97	6245.36	282,839.90	5721.98	158,625.48	3114.96
चावल बासमती	टन	4045.83	22718.60	3985.21	21512.91	4056.85	26870.67	4414.61	32804.30	2057.98	15564.04
चावल (बासमती के अलावा)	टन	6464.59	15483.39	6770.83	16929.88	8818.53	23437.23	7648.00	21171.17	2816.50	8013.41
गेहूँ	टन	666.68	1061.77	265.61	447.85	322.79	624.37	226.63	424.47	120.14	231.06
अन्य अनाज	टन	967.93	1702.50	734.77	1425.77	864.24	1604.28	1257.24	2426.07	255.19	755.62
दालें	टन	255.72	1655.90	136.72	1277.70	179.60	1469.63	287.13	1801.51	131.14	912.16
अविनिर्भित तंबाकू	किलोग्राम	215,316.96	4373.45	204,447.42	4249.85	185,363.88	3828.13	189,554.21	3984.53	108,316.17	2236.85
विनिर्भित तंबाकू		0.00	2078.91	0.00	2174.12	0.00	2193.58	0.00	2874.07	0.00	1676.26
मसाले	किलोग्राम	831,681.12	16630.14	1,014,453.31	19111.25	1,096,322.85	20084.91	1,133,889.44	23217.77	695,556.22	15641.94
काजू	टन	103.13	5027.99	91.79	5278.61	90.06	5945.28	78.22	4579.17	51.40	2301.59
काजू गिरी शेल लिविंड	किलोग्राम	11677.26	57.59	11404.76	43.99	8325.16	32.63	5300.66	26.91	2707.65	13.04
तिल के बीज	किलोग्राम	328,455.73	3012.31	307,328.55	2695.84	336,850.37	2990.93	312,003.34	3761.62	152,851.55	2027.83
निगर बीज	किलोग्राम	14121.56	123.27	14070.46	117.22	9215.04	69.86	13370.58	95.50	6146.38	45.69
मूँगफली	टन	542.73	4075.63	725.71	5444.33	504.04	3386.30	489.19	3297.32	189.74	1512.19
अन्य तेल बीज	टन	204.62	964.47	193.27	846.58	295.10	1126.32	213.84	926.75	48.01	234.08
वनस्पति तेल	टन	30.60	522.94	60.47	779.97	37.06	566.04	49.96	744.58	31.95	522.12
खाद्य तेल	टन	2056.36	3599.56	2632.26	5410.10	3570.78	7043.15	4493.29	10557.48	1604.16	3389.98
ब्यार गम खाद्य	टन	325.25	3233.87	419.95	3106.62	494.13	4169.56	513.22	4707.05	240.70	2066.41
आड़ी का तेल	किलोग्राम	586,778.44	4616.10	599,195.56	4521.51	697,092.50	6730.00	619,376.57	6170.12	358,927.26	4136.26
चपड़ा	किलोग्राम	6393.50	203.31	6065.00	225.53	6530.85	285.18	6996.04	304.79	3710.83	192.95
चीवानी	टन	3844.45	9824.52	2544.01	8659.54	1757.93	5225.60	3989.66	9523.14	2666.51	6219.71
शीरा	टन	818.57	656.84	390.67	314.94	123.97	97.45	845.96	586.80	368.50	304.71
फल / सब्जी बीज	किलोग्राम	13104.11	529.19	11288.62	522.75	14465.77	670.91	17532.40	866.31	7436.20	513.61
ताजे फल	टन	654.66	4191.24	817.06	4974.21	714.00	4913.28	823.09	5538.15	358.37	2117.92
ताजी सब्जियां	टन	2104.36	5237.10	3404.07	5790.71	2448.02	5297.72	3192.49	5679.10	1404.77	3126.32
प्रोसेस्ड वेजेटेबल्स	किलोग्राम	174,427.54	1697.22	192,855.77	1765.75	212,203.36	1823.36	228,967.00	2055.41	125,767.08	1244.95
प्रोसेस्ड फल और जूस	किलोग्राम	532,293.28	3767.08	533,152.10	3921.08	573,281.42	4169.13	594,487.33	4481.25	312,810.05	2484.75
अनाज प्रोप्रेशन्स	टन	316.54	3358.12	339.95	3565.55	353.35	3561.69	347.81	3859.46	198.78	2228.06
कोको उत्पाद	किलोग्राम	32652.56	1267.61	25649.50	1086.77	29579.53	1144.35	27607.09	1350.86	18223.82	775.88
गिल्ड उत्पाद	किलोग्राम	431,464.50	1102.73	255,803.65	813.54	270,396.97	876.62	307,419.30	1063.03	163,217.04	604.54
विविध प्रोसेस्ड आइटम्स		0.00	2907.85	0.00	3053.79	0.00	3548.95	0.00	4613.38	0.00	2718.63
पशु केसिंग	किलोग्राम	206.36	17.02	173.24	13.84	12424.66	327.44	14882.83	480.66	6312.33	210.89
ईंस का मांस	टन	1314.22	26684.22	1323.58	26161.38	1350.25	26035.19	1233.38	25091.43	669.28	13358.54
भेड़ / बकरी मांस	टन	21.95	837.76	22.01	869.84	22.80	843.61	21.67	867.53	9.72	433.58
अन्य मांस	टन	0.00	0.00	0.01	0.21	0.45	7.00	0.85	13.73	0.67	10.34
संसाधित मांस	टन	0.28	6.16	0.14	4.58	0.27	9.89	0.41	13.92	0.26	10.02
दुध उत्पाद	किलोग्राम	77527.13	1677.46	90352.31	1701.18	102,262.55	1954.63	180,688.06	3375.73	70033.03	1222.86
कुक्कट उत्पाद		0.00	769.14	0.00	530.44	0.00	552.09	0.00	687.22	0.00	322.72
पुष्प कृषि उत्पाद	किलोग्राम	22691.95	483.41	22020.33	546.71	20703.51	507.32	19694.69	571.43	11163.40	331.90
प्राकृतिक रबड़	टन	6.04	386.85	24.46	252.92	7.70	89.69	6.66	77.28	6.11	75.20
मादक पेय	एलटीआर	242,095.45	2030.92	232,179.33	2004.79	241,013.37	2105.78	231,601.93	2103.97	73960.45	910.24
समुद्री उत्पाद	किलोग्राम	978,036.22	31219.48	1,185,272.87	39593.78	1,432,456.67	47646.41	1,672,386.11	47664.94	800,351.49	28789.64
अपरिषिष्ट सहित कच्चा कपास	टन	1347.07	12821.13	996.09	10907.32	1101.47	12200.05	1143.07	14627.55	153.34	1841.66
कुल			212,459.20		223,207.31		247,708.20		270,617.79		138,073.34

अनुबंध-II

भारत में कृषि उत्पादों का आयात (2004-05 से 2008-09)											
विवरण	यूनिट	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09	
		मात्रा	मूल्य								
गेहूं	टन	0.22	0.11	0.00	0.00	6079.56	5850.49	1793.21	2657.51	0.02	0.01
चावल	टन	0.00	0.00	0.26	0.34	0.16	0.41	0.15	0.42	0.08	0.54
अन्य अनाज	टन	6.36	6.33	27.88	30.09	7.96	11.73	10.42	19.34	20.60	45.46
अनाज से बने उत्पाद	टन	44.53	110.23	42.37	129.23	38.21	132.92	43.94	161.83	29.76	170.17
दालें	टन	1323.30	1757.04	1695.96	2476.25	2270.97	3891.91	2835.06	5374.94	2474.11	6246.40
चाय	किलोग्राम	31199.77	143.86	18747.13	108.14	23293.45	127.06	19725.72	130.95	25159.25	197.00
मिल्क और क्रीम	टन	2.22	12.87	1.63	14.20	3.09	28.90	2.07	29.66	3.24	38.21
काजू	टन	470.80	1763.81	543.94	2089.46	586.49	1820.75	591.88	1714.75	614.46	2672.43
काजू के अलावा काजू व मेवा		0.00	1079.95	0.00	1390.32	0.00	1913.11	0.00	1858.64	0.00	2372.89
मसाले	किलोग्राम	104,503.33	576.47	108,926.57	687.81	118,510.73	738.90	140,590.38	941.36	122,849.53	1076.07
चीनी	टन	932.43	975.70	558.77	651.59	1.05	3.49	0.49	2.24	386.10	583.16
तेल बीज		0.00	25.95	0.00	47.03	0.00	104.47	0.00	149.46	0.00	129.58
निर्धारित वनस्पति तेल (खाद्य)	टन	4692.73	10940.63	4288.11	8960.99	4269.37	9539.90	4903.39	10301.09	6719.35	15837.46
प्राकृतिक रबड़	टन	70.42	415.64	45.29	274.51	89.80	780.51	86.39	788.89	77.76	937.20
अपरिष्कृत कपास : काम्बड/अनकाम्बड/ अपशिष्ट	टन	188.39	1115.54	98.76	703.66	81.48	663.07	136.50	912.14	211.69	1690.22
कुल			18924.13		17563.62		25607.60		25043.21		31996.80

भारत में कृषि उत्पादों का आयात (2009-10 से 2014-15)

विवरण	यनिट	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	किलोग्राम	34459.38	276.52	20824.06	202.00	22429.49	218.91	22301.32	274.52	22739.91	291.68	28390.47	388.66
कॉफ़ी	किलोग्राम	40884.15	297.34	41634.07	295.00	46055.69	469.52	71201.37	795.72	59940.86	729.02	74884.58	930.47
चावल बासमती	टन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
चावल (बासमती के अलावा)	टन	0.07	0.37	0.19	0.92	0.60	3.00	0.72	3.96	1.44	8.29	1.96	10.83
गेंद	टन	164.38	231.90	185.28	255.84	0.02	0.08	2.94	6.03	11.27	26.92	29.49	61.34
अन्य अनाज	टन	33.69	76.33	30.68	59.53	15.36	30.04	45.58	111.01	22.32	98.03	23.40	61.76
दालें	टन	3749.99	10629.16	2777.83	7512.49	3495.84	9448.35	4013.24	13344.63	3643.71	12792.62	4584.85	17062.94
अविनियमित तंबाकू	किलोग्राम	1074.71	37.76	1320.74	44.61	2015.63	68.57	2166.77	91.94	1549.35	79.52	1930.42	98.17
विनियमित तंबाकू	किलोग्राम	0.00	78.73	0.00	80.36	0.00	113.01	0.00	155.01	0.00	168.87	0.00	200.28
मसाले	किलोग्राम	161,782.16	1476.04	124,494.40	1595.91	146,767.74	2284.85	175,559.21	2715.76	155,577.43	3451.69	163,094.90	4393.25
काजू	टन	755.96	3047.50	529.73	2649.07	811.90	5381.43	898.52	5433.91	776.33	4667.80	933.19	6599.74
काजू निरी शेल लिविंगड	किलोग्राम	0.00	0.00	43.00	0.07	195.00	0.32	141.43	0.33	379.07	2.08	1720.40	10.03
तिल के बीज	किलोग्राम	9228.56	53.26	8727.92	37.66	609.28	3.93	38050.45	296.03	72928.10	808.64	34767.79	379.99
निगर बीज	किलोग्राम	3504.77	13.33	233.00	0.79	117.23	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	703.00	3.73
मूँगफली	टन	0.39	1.70	0.00	0.00	0.10	0.47	0.04	0.29	0.11	0.36	0.13	0.49
अन्य तेल बीज	टन	56.94	118.18	44.95	74.76	41.22	88.77	44.26	109.74	54.70	166.79	51.56	163.29
खाद्य सब्जी तेल	टन	6734.45	22316.68	6039.02	25919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वनस्पति तेल	टन	0.00	0.00	0.00	0.00	8442.28	46334.15	11017.66	61270.66	10467.30	56836.35	12731.60	64889.60
खाद्य तेल	टन	127.73	104.69	79.22	75.03	86.13	98.72	148.30	210.38	126.94	199.87	165.10	272.65
बवार गम खाद्य	टन	0.07	2.41	0.09	2.66	0.30	9.90	0.57	33.61	0.38	21.85	0.13	5.72
अरंडों का तेल	किलोग्राम	56.85	0.44	12.61	0.91	55.34	1.29	142.80	2.23	68.95	2.04	52.36	1.81
चपड़ा	किलोग्राम	3552.31	34.10	3293.55	50.55	541.88	22.15	2782.51	172.61	680.72	45.80	1770.84	59.54
चीनी	टन	2551.42	5965.80	1034.58	2789.54	99.71	313.83	1122.25	3094.38	880.96	2286.86	1538.64	3668.21
शीरा	टन	45.54	32.29	7.29	6.15	12.40	4.35	14.68	7.50	15.07	8.93	60.28	30.14
फल / सब्जी बीज	किलोग्राम	12668.02	284.42	11139.67	291.22	13180.92	380.15	16045.49	471.10	8294.15	449.48	14012.28	611.53
ताजे फल	टन	562.19	2843.47	630.23	3586.51	723.24	4610.67	802.14	6180.42	769.20	7715.87	900.98	9566.81
ताजी सब्जियां	टन	5.40	8.14	16.61	40.60	5.04	7.31	7.03	11.24	25.98	41.67	8.24	11.14
प्रोसेस्ड वेजेटेबल्स	किलोग्राम	0.00	77.90	0.00	117.48	20500.72	120.19	0.00	149.01	20289.09	173.94	10960.19	104.45
प्रोसेस्ड फल और जूस	किलोग्राम	0.00	191.12	0.00	251.54	30659.39	315.03	0.00	432.06	31973.06	410.83	33552.68	499.54
अनाज फ्रीपेरेशन्स	टन	39.11	188.92	37.73	243.43	45.82	316.39	50.42	359.98	53.47	419.34	72.72	583.93
कोको उत्पाद	किलोग्राम	25227.73	376.08	33802.27	584.21	50759.95	934.32	53331.11	1049.25	51627.35	1071.55	65387.03	1551.63
मिल्ड उत्पाद	किलोग्राम	2489.63	9.76	3740.38	10.96	2882.81	11.88	4522.60	23.75	3977.44	22.01	3465.37	17.72
विविध प्रोसेस्ड आइटम्स		0.00	552.34	0.00	664.01	0.00	915.19	0.00	1268.33	0.00	1474.47	0.00	1785.23
पशु केसिंग	किलोग्राम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
भेड़ / बकरी मांस	टन	0.04	1.22	0.03	0.80	0.01	0.21	0.02	1.52	0.06	5.13	0.09	8.73
अन्य मांस	टन	0.33	6.67	0.35	7.01	0.54	12.48	0.43	15.71	0.36	15.80	0.47	19.50
संसाधित मांस	टन	1.41	9.79	0.78	7.56	0.96	9.74	0.57	9.02	0.39	7.64	0.17	5.17
दुध उत्पाद	किलोग्राम	0.00	333.64	0.00	847.83	71903.49	1219.41	0.00	184.25	10487.31	232.68	43837.63	375.01
कुक्कुट उत्पाद		0.00	26.72	0.00	14.46	0.00	19.72	0.00	18.29	0.00	23.39	0.00	38.22
पुष्प कृषि उत्पाद	किलोग्राम	0.00	45.88	0.00	45.48	3064.32	68.64	0.00	85.67	4308.80	112.19	4820.19	113.37
प्राकृतिक रबड़	टन	177.13	1602.15	190.73	2928.33	214.42	4248.18	262.74	4590.14	360.27	5537.29	442.13	4990.09
मादक पेय	एल टीआर	0.00	1244.26	0.00	1029.13	113,182.71	1309.77	0.00	1416.77	114,452.98	2076.18	177,683.00	2508.66
समुद्री उत्पाद	किलोग्राम	27346.02	303.09	28346.87	429.04	34223.12	569.53	28103.79	452.70	31219.16	411.01	27721.32	453.90
अपरिषेष्ट सहित कच्चा कपास	टन	0.00	1241.37	0.00	622.24	77.42	1059.19	232.56	2466.74	180.97	2375.78	289.39	3101.92
कुल			54141.45		53375.25		81026.50		107,316.20		105,270.28		125,639.16

भारत में कृषि उत्पादों का आयात (2015-16 से 2019-20)

विवरण	मूलिक	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		मात्रा हजार इकाइयों में; मूल्य करोड़ रुपये में	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
चाय	किलोग्राम	23722.24	377.47	24893.01	338.35	24938.77	356.99	28851.38	417.96	14739.39	302.82
कॉफ़ी	किलोग्राम	65612.80	801.83	78041.34	926.81	77217.05	996.50	82772.39	958.59	53650.10	593.54
चावल (बासमती के अलावा)	टन	1.02	5.91	1.14	7.25	2.12	12.18	6.87	32.14	3.62	17.27
गेहूँ	टन	517.67	872.59	5749.43	8509.05	1649.73	2357.84	2.75	5.44	1.16	3.07
अन्य अनाज	टन	206.14	344.31	311.37	493.18	265.13	433.90	244.32	471.28	353.88	623.58
दालें	टन	5797.71	25619.06	6609.49	28523.18	5607.53	18748.57	2527.88	8035.30	1874.44	6258.55
अविनियित तंबाकू	किलोग्राम	2883.25	137.30	1969.03	77.21	1542.20	69.47	2595.83	102.89	743.58	16.77
विनियित तंबाकू		0.00	193.92	0.00	228.54	0.00	185.92	0.00	257.52	0.00	129.49
मसाले	किलोग्राम	197,058.87	5399.95	242,293.68	5760.25	222,325.65	6385.26	240,555.22	7932.70	174,282.00	6353.48
काजू	टन	961.67	8701.28	774.51	9027.09	654.02	9134.33	839.64	11162.32	721.86	6501.32
काजू शिरी शेल लिंकिंड	किलोग्राम	1858.35	5.60	1687.77	3.67	2092.36	5.66	6611.49	21.05	7713.88	19.66
तिल के बीज	किलोग्राम	23597.10	179.66	69028.83	442.15	26269.59	176.77	87538.04	875.17	70325.10	710.73
निगर बीज	किलोग्राम	5780.00	44.14	10656.00	82.82	5332.80	29.00	8664.88	40.62	3372.91	17.38
मूँगफली	टन	0.11	0.31	0.33	1.39	1.72	13.04	1.09	8.14	1.81	10.30
अन्य तेल बीज	टन	62.51	218.62	116.64	392.36	127.35	364.59	220.48	745.35	182.95	634.15
बनस्पति तेल	टन	15643.74	68676.62	14007.39	73038.98	15361.02	74995.91	15019.30	69023.79	9304.64	39920.07
खाद्य तेल	टन	256.55	429.91	550.43	974.59	485.96	746.67	504.00	869.56	405.35	685.26
ब्वार गम खाद्य	टन	0.63	13.93	0.18	2.41	0.43	3.30	0.72	5.90	0.89	14.19
अरंडों का तेल	किलोग्राम	31.76	1.10	107.21	1.50	38.37	2.54	223.82	5.32	122.36	6.18
चपड़ा	किलोग्राम	705.39	19.48	459.61	13.43	466.92	18.38	640.96	19.35	625.78	15.82
चौंदी	टन	1943.13	4037.86	2146.15	6868.61	2402.98	6035.84	1490.61	3175.39	660.08	1446.04
शौरा	टन	17.27	7.50	13.84	9.04	72.85	69.29	4.47	1.38	30.75	9.60
फल / सब्जी बीज	किलोग्राम	14328.07	703.03	14073.87	653.33	16051.46	768.26	19725.77	835.81	13045.59	600.06
ताजे फल	टन	857.90	11071.57	1057.51	11290.62	994.70	12524.55	1124.18	13931.65	570.72	7477.73
ताजी सहिजियाँ	टन	140.73	394.45	8.55	11.12	15.66	25.64	14.75	24.22	14.97	33.84
प्रोसेस्ड वेजीटेबल्स	किलोग्राम	15379.02	120.33	13323.28	115.26	15335.42	134.83	18097.79	161.83	21470.06	160.71
प्रोसेस्ड फल और जूस	किलोग्राम	40494.96	526.49	42993.07	548.10	53585.04	803.81	59123.89	909.34	33246.87	473.94
अनाज प्रैपरेशन्स	टन	61.70	575.42	66.46	579.03	71.10	659.68	90.58	971.36	52.75	564.85
कोको उत्पाद	किलोग्राम	56424.69	1398.91	63611.90	1542.28	71257.55	1473.10	87595.13	1845.89	55094.78	1148.80
मिल उत्पाद	किलोग्राम	4393.66	21.40	3555.95	16.22	3275.70	13.02	4184.83	15.60	2376.03	8.96
विविध प्रोसेस्ड आइटम्स		0.00	1811.12	0.00	2115.82	0.00	2249.73	0.00	2560.20	0.00	1644.33
भेंड / बकरी मांस	टन	0.05	4.80	0.13	8.50	0.22	13.36	0.12	10.83	0.09	7.76
अन्य मांस	टन	0.50	17.18	0.59	19.03	0.78	27.80	0.88	30.65	0.64	21.06
संसाधित मांस	टन	0.07	2.75	0.13	4.47	0.10	3.22	0.12	4.14	0.08	3.10
दुध उत्पाद	किलोग्राम	18303.41	371.58	16906.34	254.84	23393.63	312.59	13643.20	254.12	9693.67	178.78
कुक्कुट उत्पाद		0.00	26.42	0.00	29.46	0.00	26.87	0.00	41.80	0.00	18.28
पुष्प कृषि उत्पाद	किलोग्राम	4768.81	114.40	5568.39	133.81	6241.10	136.46	6374.48	174.09	4602.39	155.53
प्राकृतिक रबड़	टन	458.38	4671.64	426.19	4374.63	469.76	5343.74	582.35	6127.66	302.34	3303.03
मादक पेय	एल टीआर	303,459.28	2935.85	452,717.72	3590.33	563,769.85	3876.14	587,958.73	4678.72	381,472.28	2870.47
समृद्धी उत्पाद	किलोग्राम	50348.35	639.77	52015.03	633.39	44713.34	793.30	56933.36	1088.13	33270.05	663.44
अपरिषेष्ट सहित कच्चा कपास	टन	233.14	2566.21	499.62	6338.92	469.13	6306.77	299.27	4383.40	602.43	7759.89
कुल			144,061.67		167,981.01		156,634.82		142,216.63		91383.84

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2557

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

fu; k̄ jkt | gk; rk

2557- Jh t ; idk'k%
D; k o k. kT; v k̄ m | k̄ e a h ; g crkusd h d i k d j x s f d %

%d% D; k fo'o 0; k i k̄ I k̄ Bu MCY; Vm v k̄ us vejhd k dh vi hy ij , d fu/k k̄ jr
I hek e a fu; k̄ jkt | gk; rk dks cn djus ds fy, kkjr dks funsk fn, g k̄
%k̄ ; fn g k̄ rks D; k I jdkj usmDr vknsk dh v k̄ /; ku fn; k g k̄ v k̄
%k̄ bl I cik e a l jdkj ds n f Vdksk dk C; k jk D; k g k̄

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) (ख) एवं (ग) : अमेरिका ने भारत की उन स्कीमों को चुनौती दी है जो कच्चे माल एवं निर्यात प्रयोजन के लिए उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त पूँजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती हैं। अमेरिका ने चुनौती दी है कि भारत की स्कीमें निर्यात पर प्रतिबंधित राजसहायता कंटिन्यॉर्ट हैं, यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के राजसहायता और प्रतिसंतुलनकारी उपायों (एएससीएम) संबंधी करार के अनुच्छेद 3.1 का उल्लंघन है। पैनल रिपोर्ट जारी की जा चुकी है और भारत ने डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय के समक्ष पैनल रिपोर्ट के विरुद्ध अपील पहले ही दायर कर रखी है।

दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

खाद्य तेल का आयात

2548. श्री अधिकारी दीपक (देव):

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आयातित कच्चे खाद्य तेल का राष्ट्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या हाल ही में कच्चे खाद्य तेल के आयात में तेजी से वृद्धि हुई है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दे”। में कच्चे खाद्य तेल के आयात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैः—

वर्ष	मात्रा (हजार टन)	मूल्य (अमरीकी मिलियन डॉलर)	मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन
2016-17	11040.46	8635.2	---
2017-18	12573.12	9586.4	11.02
2018-19	12448.15	8227.6	-14.17
2019-20 (अप्रैल-सितम्बर, 19)*	5870.07	3591.6	-18.82**

सोतः डीजीसीआईएंडएस, *अनंतिम, **वर्ष 2018-19 में तदनुरूपी अवधि की तुलना में।

कच्चे खाद्य तेल के आयात में वर्ष 2018-19 में वर्ष 2017-18 की तुलना में 14.17% की ऋणात्मक वृद्धि और वर्ष 2019-20 (अप्रैल-सितम्बर) में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 18.82% की ऋणात्मक वृद्धि हुई। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कच्चे खाद्य तेल के आयात के दे”वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

4 दिसंबर 2019 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अता. प्र. सं. 2548 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे खादय तेल का देश-वार आयात

देश	आईटीसी एचएस	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
			मात्रा—टन में	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	मात्रा—टन में	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	मात्रा—टन में	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
अर्जेटीना	15071000	सोयाबीन कच्चा तेल जो डिग्यूम्ड हो या नहीं	2747363.50	2211.78	2431682.65	1970.35	2225232.85	1649.23
	15121110	सूरजमुखी बीज का कच्चा तेल	63630.00	53.15	99420.00	78.75	82932.00	63.99
	15121120	कुसुम के बीज का तेल (करड़ी बीज का कच्चा तेल)	20289.00	24.15	9698.00	11.84	88.39	0.09
कुल			2831282.50	2289.08	2540800.65	2060.94	2308253.24	1713.31
ऑस्ट्रेलिया	15141120	कच्चा सफेद सरसों का तेल	86.00	0.09	128.32	0.13	86.09	0.08
कुल			86.00	0.09	128.32	0.13	86.09	0.08
बंगलादेश पीआर	15149120	कच्चा सरसों का तेल	30.00	0.04				
	15155010	कच्चा तिल का तेल और इसके भाग	878.00	1.02	50.00	0.05		
कुल			908.00	1.06	50.00	0.05		
बेल्जियम	15149190	कच्चा सफेद सरसों के बीज का तेल					0.13	0.00044
	15151100	कच्चा अलसी का तेल और इसके भाग	3886.20	3.54	2042.56	1.84	133.00	0.12
कुल			3886.20	3.54	2042.56	1.84	133.13	0.12
बेनिन	15132110	कच्ची पाम की गिरी का तेल					150.00	0.16
कुल							150.00	0.16
ब्राजील	15071000	सोयाबीन कच्चा तेल जो डिग्यूम्ड हो या नहीं	483160.08	389.24	523811.37	427.40	619105.95	464.91
कुल			483160.08	389.24	523811.37	427.40	619105.95	464.91
बुल्गारिया	15121110	सूरजमुखी बीज का कच्चा तेल	109.00	0.09				
कुल			109.00	0.09				
कंबोडिया	15111000	कच्चा पाम तेल और इसके भाग					110.00	0.07
कुल							110.00	0.07
कनाडा	15141120	कच्चा सफेद सरसों का तेल	34665.00	28.21				
	15149190	कच्चा सफेद सरसों के बीज का तेल	250.00	0.21				
कुल			34915.00	28.41				
कोलंबिया	15111000	कच्चा पाम तेल और इसके भाग	8500.00	5.95				
कुल			8500.00	5.95				

देश	आईटीसी एचएस	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
			मात्रा—ठन में	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	मात्रा—ठन में	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)	मात्रा—ठन में	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
फ्रांस	15132120	कर्ड बाबूसू तेल			0.01	0.00009		
	15149190	कच्चा सफेद सरसो के बीज का तेल	3268.00	3.99				
कुल			3268.00	3.99	0.01	0.00009		
जर्मनी	15071000	सोयाबीन क्रूड तेल जो डिग्यूम्ड हो या नहीं					21970.00	17.97
	15111000	क्रूड पास तेल और इसके भाग					0.002	0.0001
	15121110	सूरजमुखी के बीज का कच्चा तेल			0.90	0.00076		0.00009
	15121120	कुसुम के बीज का तेल (करड़ी बीज का कच्चा तेल)	0.14	0.00057	3.43	0.01	0.01	0.00084
	15122100	बिनौला का कच्चा तेल जिसमें से गोसिप्ल को हटाया गया या नहीं						0.00003
	15149190	कच्चा सफेद सरसो के बीज का तेल	2984.00	3.50	2252.00	2.99	0.19	0.001
	15152100	कच्चा मक्का (बीज) का तेल और इसके भाग					0.18	0.002
कुल			2984.14	3.50	2256.33	3.01	21970.37	17.98
घाना	15132110	कच्चा पास की गिरी का तेल	233.42	0.19				
कुल			233.42	0.19				
यूनान	15071000	सोया बीन कच्चा तेल जो डिग्यूम्ड हो या नहीं					12986.00	9.43
	15122100	बिनौला का कच्चा तेल जिसमें से गोसिप्ल को हटाया गया या नहीं					0.03	0.0001
कुल							12986.03	9.43
ग्वाटेमाला	15111000	कच्चा पास तेल और इसके भाग	6506.00	4.59				
कुल			6506.00	4.59				
गिनी	15132110	कच्चा पास की गिरी का तेल					27.18	0.03
कुल							27.18	0.03
होंडुरस	15111000	क्रूड पास तेल और इसके भाग	15005.00	10.57				
कुल			15005.00	10.57				
इंडोनेशिया	15111000	क्रूड पास तेल और इसके भाग	3337081.77	2482.88	4585403.66	3249.93	4156999.71	2341.27

देश	आईटीसी एचएस	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
			मात्रा—ठन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—ठन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—ठन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)
	15132110	कच्चा पाम की गिरी का तेल	23028.00	30.93	61922.00	76.12	67571.00	60.32
कुल			3360109.77	2513.81	4647325.66	3326.06	4224570.71	2401.59
कोरिया आरपी	15155010	कच्चा तिल का तेल और इसके भाग	0.09	0.0003			6.00	0.002
कुल			0.09	0.0003			6.00	0.002
लाइबेरिया	15111000	क्रूड पाम तेल और इसके भाग					18.00	0.01
कुल							18.00	0.01
मलेशिया	15100010	अन्य कच्चा तेल जो जैतून से रासायनिक रूप से विनिर्मित, प्राप्त न हों			0.19	0.00		
	15111000	क्रूड पाम तेल और इसके भाग	1961185.71	1409.82	1720856.69	1226.93	1712902.24	1009.41
	15121110	सूरजमुखी के बीज का तेल					105.00	0.12
	15132110	कच्चा पाम की गिरी का तेल	25656.60	39.94	49044.00	59.69	49426.00	42.09
	15149190	कच्चा सफेद सरसों के बीज का तेल			0.19	0.00		
कुल			1986842.31	1449.75	1769901.06	1286.61	1762433.24	1051.62
मेकिसको	15121120	कुसुम के बीज का तेल (करड़ी के बीज का क्रूड तेल)	1745.00	3.14				
कुल			1745.00	3.14				
नेपाल	15071000	सोया बीन कच्चा तेल जो डिग्यूम्ड हो या नहीं	1484.26	1.35	325.16	0.35	2903.49	3.04
कुल			1484.26	1.35	325.16	0.35	2903.49	3.04
नीदरलैंड	15071000	सोया बीन कच्चा तेल जो डिग्यूम्ड हो या नहीं					36112.00	27.15
	15121120	कुसुम के बीज का तेल (करड़ी के बीज का क्रूड तेल)	6.08	0.03	6.84	0.03		
	15149190	कच्चा सफेद सरसों के बीज का तेल					1287.00	1.57
कुल			6.08	0.03	6.84	0.03	37399.00	28.73
नाइजीरिया	15111000	क्रूड पाम तेल और इसके भाग					0.25	0.0001
कुल							0.25	0.0001
पपुआ एन जीएनए	15111000	क्रूड पाम तेल और इसके भाग	8700.00	5.99	20141.00	13.93	38194.00	20.90
	15132110	पाम की गिरी का क्रूड तेल	584.00	0.79	1056.00	1.30	465.00	0.41

देश	आईटीसी एचएस	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
			मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)
कुल			9284.00	6.79	21197.00	15.23	38659.00	21.31
पैराग्वे	15071000	सोयाबीन कच्चा तेल डिगम्ब हो अथवा न हो	184820.00	147.21	185388.31	151.86	5000.00	3.65
	15121120	कुसुम के बीज का तेल (कर्डी बीज कच्चा तेल)			693.00	0.85		
कुल			184820.00	147.21	186081.31	152.72	5000.00	3.65
फिलिपींस	15111000	क्रूड पाम तेल और इसके अ”ा	18867.00	13.68	26543.00	18.74	10835.00	7.30
कुल			18867.00	13.68	26543.00	18.74	10835.00	7.30
रुस	15071000	सोयाबीन कच्चा तेल डिगम्ब हो अथवा न हो					15005.00	10.45
	15121110	सूरजमुखी के बीज का तेल कच्चा	25700.00	21.87	1810.34	1.60	31181.97	22.16
	15141120	कच्चा सफेद सरसों का तेल			4917.00	4.14		
कुल			25700.00	21.87	6727.34	5.74	46186.97	32.61
सऊदी अरब	15071000	सोयाबीन कच्चा तेल डिगम्ब हो अथवा न हो	19981.00	17.91			19633.00	13.71
	15131100	नरियल (कोप्रा) कच्चा तेल और इसका अ”ा					0.01	0.0002
कुल			19981.00	17.91			19633.01	13.71
सिंगापुर	15071000	सोयाबीन कच्चा तेल डिगम्ब हो अथवा न हो					19289.00	16.42
	15111000	कच्चा पाम तेल और इसके अ”ा					324739.00	187.41
	15149190	कच्चा सफेद सरसों के बीज का तेल					2.09	0.0037
	15155010	कच्चा तिल का तेल और इसके अ”ा	4.32	0.02	2.16	0.01		
कुल			4.32	0.02	2.16	0.01	344030.09	203.83
दक्षिण अफ्रीका	15071000	सोयाबीन कच्चा तेल डिगम्ब हो अथवा न हो	3500.00	2.71				
कुल			3500.00	2.71				

देश	आईटीसी एचएस	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
			मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)
स्पेन	15100010	अन्य कच्चा तेल जो जैतून से, रासायनिक रूप से विनिर्मित, प्राप्त नहीं हो।					557.93	0.68
	15111000	कच्चा पाम तेल और इसके अ”ा					66.00	0.08
	15121110	सूरजमुखी की बीज का तेल कच्चा			13.82	0.02		
कुल					13.82	0.02	623.93	0.76
स्वीडन	15149190	कच्चे सफेद सरसों के बीज का तेल	757.00	0.90				
कुल			757.00	0.90				
स्विट्जरलैंड	15071000	सोया बीन कच्चा तेल जो डिग्यूम्ड हो या नहीं					156809.00	111.76
	15121110	सूरजमुखी के बीज का तेल, कच्चा					1514.00	1.18
	15149190	कच्चे सफेद सरसों के बीज का तेल					0.19	0.0008
कुल							158323.19	112.95
थाईलैंड	15111000	कच्चा पाम तेल और इसके अ”ा			396653.00	278.16	171552.96	107.87
	15132110	कच्चा पाम गरी तेल			2531.00	3.51	6020.00	6.04
कुल					399184.00	281.67	177572.96	113.91
टोगो	15132110	कच्चा पाम गिरी तेल			24.00	0.03	912.00	0.98
कुल					24.00	0.03	912.00	0.98
टचूनीशिया	15100010	अन्य कच्चा तेल जो जैतून से रासायनिक रूप से विनिर्मित, प्राप्त नहीं हो	503.00	0.49	805.00	1.34		
कुल			503.00	0.49	805.00	1.34		
तुर्की	15071000	सोया बीन कच्चा तेल जो डिग्यूम्ड हो या नहीं					7972.00	5.76
	15121120	कुसुम के बीज का तेल (कर्डी बीज कच्चा तेल)			500.00	0.53	500.00	0.48
	15132110	कच्चा पाम गिरी तेल						

देश	आईटीसी एचएस	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
			मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)
कुल					500.00	0.53	8472.00	6.24
संयुक्त अरब अमीरात	15071000	सोया बीन कच्चा तेल जो डिग्यूड हो या नहीं					2994.00	2.24
	15141120	कच्चे सफेद सरसों का तेल	351809.00	291.27	291385.00	246.44	157539.00	122.07
	15149190	कच्चे सफेद सरसों का तेल	19146.00	15.50	520.00	0.44		
कुल			370955.00	306.77	291905.00	246.88	160533.00	124.31
यूके	15121110	सूरजमुखी के बीज का तेल कच्चा	24.00	0.02				
	15121120	कुसुम के बीज का तेल (कर्डी बीज कच्चा तेल)					0.15	0.002
	15132120	कच्चा बाबासू तेल					0.01	0.00002
कुल			24.00	0.02			0.16	0.0022
संयुक्त राज्य अमेरिका	15071000	सोया बीन कच्चा तेल जो डिग्यूड हो या नहीं					0.003	0.0003
	15081000	मूँगफली का तेल कच्चा					0.02	0.00047
	15121110	सूरजमुखी की बीज का तेल कच्चा	1.75	0.0022			14.29	0.03
	15121120	कुसुम के बीज का तेल (कर्डी बीज कच्चा तेल)	2013.00	2.90	2547.38	3.16	0.39	0.0048
	15131100	नारियल (कोप्रा) कच्चा तेल और अ०।।					0.001	0.0001
	15149190	कच्चे सरसों का बीज का तेल					9.64	0.02
कुल			2014.75	2.90	2547.38	3.16	24.35	0.05
यूक्रेन	15071000	सोया बीन कच्चा तेल जो डिग्यूड हो या नहीं	24151.64	20.97	10961.00	9.05	20894.00	14.53
	15121110	सूरजमुखी के बीज का तेल कच्चा	1638357.56	1384.09	2137408.76	1742.74	2463997.36	1878.55
	15132110	कच्चा पाम गिरी तेल					1500.00	1.19
	15151100	कच्चा अलसी का तेल और इसके अ०।।	508.86	0.53	2567.80	2.15	643.32	0.54
कुल			1663018.06	1405.59	2150937.56	1753.94	2487034.68	1894.81
अनिर्दिष्ट	15149120	कच्चा सरसों तेल			0.11	0.0002		
कुल					0.11	0.0002		
उरुग्वे	15121120	कुसुम के बीज का तेल (कर्डी बीज कच्चा तेल)					154.54	0.16

देश	आईटीसी एचएस	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
			मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)	मात्रा—टन	मूल्य (मिलियन अमरीकी डॉलर)
	15131100	नारियल (कोप्रा) कच्चा तेल और अ०।					0.01	0.0005
कुल							154.55	0.16
कुल योग			11040458.97	8635.23	12573115.63	9586.43	12448147.57	8227.63

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

दुग्ध उत्पादों संबंधी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता

2546. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

श्री के. बणमुग सुन्दरमः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने न्यूजीलैंड से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आयात के संबंध में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) जिसमें आसियान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है, में बातचीत के दौरान कोई समझौता किया था;
- (ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) के अन्तर्गत ऐसे समझौते का व्यौरा क्या है तथा इस पर क्या प्रस्ताव है;
- (ग) क्या सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ सहित घरेलू डेयरी उत्पादकों ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा सरकार का प्रतिस्पर्धा में घरेलू उत्पादकता, रोजगार और दुग्ध उत्पादकों को बनाए रखने का क्या प्रस्ताव है;
- (ङ) भारत में चालू वर्ष और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष हेतु दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की कुल मात्रा कितनी है; और
- (च) क्या सरकार का दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : जी, नहीं। 4 नवंबर, 2019 को बैंकाक में आयोजित तीसरी आरसीईपी लीडर्स शीर्ष बैठक के दौरान, भारत ने उल्लेख किया कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) की वर्तमान संरचना ने पूरी तरह इसके मार्गदर्शी सिद्धांतों को पूर्णतया प्रतिबिम्बित नहीं किया या भारत के बकाया मुद्दों और चिंताओं का समाधान नहीं किया, जिसके आलोक में भारत सर्वसम्मति में शामिल नहीं हुआ। सरकार ने सहकारी दुग्ध उत्पादकों की यूनियन सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया जिन्हें आरसीईपी के तहत इसकी स्थिति तैयार करते समय ध्यान में रखा गया।

(इ) : पिछले चार वर्षों के दौरान भारत का वार्षिक दुग्ध उत्पादन निम्नलिखित है:

वर्ष	*दुग्ध उत्पादन(आंकड़े मिलियन टन में)
2015-16	155.5
2016-17	165.4
2017-18	176.3
**2018-19	187.7

स्रोत: *पशुपालन एवं डेयरी विभाग की 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट

** पशुपालन एवं डेयरी विभाग का वार्षिक 'समेकित सेंपल सर्व'

(च) : आज की तारीख तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिनांक 04 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

rsyakuk | svk; kr@fu; kr

2543- Jh vuqy k jor jMMH%
D; k olk.kT; vlg m | kx ea:h ; g crkusdh dik djksfd%

1d% xr i kp o"kk es i R; d o"kl ds nkjku rsyakuk jkT; Is oLr yk vlg I okvka ds dy fu; kr vlg vk; kr dk i Fkd C; k jk D; k gk vlg
1d% rsyakuk jkT; Is oLr yk vlg I okvka ds fu; kr es I qk j grq xr i kp o"kk ds nkjku D; k dne mBk, x, gk

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) : 2014-15 से अगस्त, 2019 तक तेलंगाना राज्य से पण्यवस्तुओं का निर्यात निम्नलिखित है:-

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2014-15	13431.62
2015-16	35439.23
2016-17	40239.02
2017-18	42363.27
2018-19	50096.84
2019-20 (अगस्त, 2019 तक) (**)	20945.08

[आंकड़ों का स्रोत: डीजीसीआईएस (**) 2019-20 के लिए आंकड़े अनंतिम हैं]

(ख) सरकार द्वारा तेलंगाना राज्य से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

वाणिज्य विभाग ने 2018 में एक कृषि निर्यात नीति आरंभ की है जिसमें उपयुक्त नीतिगत साधनों के जरिये भारतीय कृषि की निर्यात क्षमता का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। कृषि निर्यात नीति के तहत, तेलंगाना में रंगारेड्डी, महబूबनगर एवं वारंगल जिलों को आमों के संवर्धन के लिए, कलस्टर जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है, मिर्च के संवर्धन के लिए खम्माम एवं वारंगल जिलों को कलस्टरों के रूप में चिन्हित किया गया है। एपीडा ने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना के निर्यातकों के लिए विशेष रूप से आम, गैर बासमती चावल, खीरा इत्यादि के लिए विभिन्न सुग्राहीकरण। निर्यात संवर्धन जागरूकता कार्यक्रमों, क्रेता-विक्रेता बैठकों,

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है। एपीडा द्वारा अवसंरचना विकास, गुणवत्ता विकास, बाजार संवर्धन एवं जैविक उत्पादों के विकास के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार की कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए माल भाड़ा क्षति के न्यूनीकरण हेतु सहायता प्रदान कराने के लिए एक 'विशिष्ट कृषि उत्पाद के लिए परिवहन एवं विपणन सहायता स्कीम' भी है।

मसाला बोर्ड ने राज्य में उत्पादित मसालों के समग्र विकास के लिए वारंगल में मसाला विकास एजेंसी (एसडीए) की स्थापना की है। गुणवत्तापूर्ण निर्यात योग्य अधिशेष का लाभ उठाने के लिए बोर्ड मसालों की फसल उपरांत गुणवत्ता सुधार के लिए, टरमरिक बॉयलर/टरमरिक पोलिशर्स इत्यादि के लिए किसानों/कृषक समूहों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, क्रेता-विक्रेता बैठकों (बीएसएम) का आयोजन कराने के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

भारत सरकार निर्यातों का संवर्धन करने एवं राज्यों से निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल माहौल का सृजन करने हेतु उपाय करने के लिए राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से संवाद सुनिश्चित करती है। वाणिज्य विभाग के वरिष्ठतम् अधिकारियों के दो प्रतिनिधिमंडलों ने राज्य से निर्यातों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 04/03/2016 और 13/04/2018 को तेलंगाना राज्य का दौरा किया।

वाणिज्य विभाग के आग्रह पर, तेलंगाना राज्य ने एक वरिष्ठ अधिकारी को निर्यात आयुक्त के रूप में नामित किया है जो राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के सभी निर्यात प्रयासों को समन्वित कर सकता है और सिंगल विंडो के रूप में कार्य कर सकता है। इसी प्रकार वाणिज्य विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकार के साथ समन्वय करने हेतु नामित किया गया है।

**“चिकन लेग्स का आयात” के संबंध में 04 दिसंबर, 2019 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 229
के भाग (क) से (ड) के उत्तर में संदर्भित विवरण ।**

(क) और (ख): संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत में चिकन लेग्स के आयात के कारण तमिलनाडु में नमक्कल जिले सहित घरेलू पोल्ट्री क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव की कोई रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है। आइटम चिकन लेग्स का कोई अलग से आईटीसी (एचएस) कोड नहीं है और यह आईटीसी (एचएस): 02071400 (गाल्स प्रजाति के फॉल्स के कट्स एवं ऑफल्स) के तहत शामिल है। पिछले तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 और चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) के दौरान आईटीसी (एचएस): 02071400 (गाल्स प्रजाति के फॉल्स के कट्स एवं ऑफल्स) के अंतर्गत आने वाले मर्दों का भारत द्वारा देश-वार आयात निम्नलिखित है:-

पिछले तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) और चालू वित्त वर्ष 2019-20 (सितंबर, 2019 तक) के लिए आईटीसीएचएस कोड 02071400 (गाल्स प्रजाति के फॉल्स के कट्स एवं ऑफल्स) मर्द का भारत का देश-वार आयात ।

आईटीसी एचएस	मर्द विवरण	देश	2016-17		2017-18		2018-19		* 2019-20 (सितंबर, 2019 तक)	
			मात्रा (कि गा)	मूल्य (अम.डॉ)	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (अम.डॉ)	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (अम.डॉ)	मात्रा (किग्रा)	मूल्य (अम.डॉ)
02071400	गाल्स प्रजाति के फॉल्स के घरेलू फ्रोजन कट्स एवं ऑफल्स	ब्राज़ील	-	-	-	-	-	-	27000	21312
		यूएसए	-	-	-	-	122,132	80,464	-	-
		अन्य देश	-	-	-	-	-	-	-	-
		कुल					122,132	80,464	27000	21312

* नोट: चालू वित्त वर्ष 2019-20 से संबंधित आंकड़े अनंतिम और परिवर्तनों के अध्यधीन हैं।

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)

(ग) और (घ): जी हाँ । पशुपालन एवं डेयरी विभाग की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. 2666 (अ) दिनांक 16.10.2014 के अनुसार, चिकन लेग्स सहित पशुधन उत्पादों के आयात के लिए, एक सेनेटरी आयात परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इस स्वच्छता आयात परमिट में भारतीय स्वच्छता प्रोटोकॉल शामिल हैं, जिसे भारत में पशुधन उत्पादों का निर्यात करने से पहले निर्यातक देश के शासकीय प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। इन

वस्तुओं के आयात को आयात शुल्क लागू करके प्रतिबंधित किया गया है। इन वस्तुओं पर वर्तमान आयात शुल्क @ 100% है जो भारत की बाध्य दरों के तहत उपलब्ध अधिकतम दर है।

(इ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य उत्पादों के लिए मानकों को निर्धारित करने हेतु एक अधिकृत एजेंसी है। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य एडिटिव्स) विनियम, 2011 के विनियमन 2.5.2.11 के तहत ताजा या प्रशीतित या फ्रोजन पोल्ट्री मांस के लिए मानक निर्धारित किए हैं, जिसमें फ्रोजन मांस के भंडारण की ओर इसके शेल्फ जीवन की शर्तों को विस्तार से दिया गया है। इन विनियमों के परिशिष्ट ख में फ्रोजन मांस के लिए सूक्ष्मजीवविज्ञानी मानकों को भी निर्धारित किया गया है। इन मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित माना जाता है। तथापि, एफएसएसएआई के पास अत्यधिक फ्रोजन चिकन की खपत का जनता के स्वास्थ पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।
